

पशुधन विभाग  
उत्तर प्रदेश

कार्यपूति दिग्दर्शक  
(परफॉरमेंस बजट)



आय-व्ययक  
वर्ष 2018-19

**अनुदान संख्या-15**  
**कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)**

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक सर्वप्रथम सदन में वर्ष 1974-75 में प्रस्तुत किया गया था। तब से अनवरत् रूप से इसे प्रस्तुत किया जाता है, ताकि विभागीय कार्यकलापों, पूर्व वर्षों की उपलब्धियों, वर्तमान लक्ष्यों एवं अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा सके। इससे वित्तीय परिव्ययों को भौतिक लक्ष्यों से सम्बद्ध करने का यथासम्भव प्रयास किया गया है।

आशा है यह कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक वर्ष 2018-19 में परिव्ययों के उपयोग पर उचित नियन्त्रण रखने में सहायक सिद्ध होगा तथा इससे योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण में समुचित सहायता मिलेगी।

लखनऊ:

दिनांक :

**(डा० सुधीर एम० बोबडे)**  
**प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग**  
**उत्तर प्रदेश शासन।**

## विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	4-10
2.	योजनाओं के अन्तर्गत विभागीय परिव्यय	
3.	विभाग के अन्तर्गत उपलब्ध संस्थायें	
4.	ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम	
5.	वित्तीय आवश्यकतायें	
	(क) कार्यक्रम का वर्गीकरण	
	(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण	
	(ग) वित्तीय साधनों का स्रोत	
6.	वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण	
	(1) निदेशन तथा प्रशासन	
	(2) पशुचिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	
	(3) रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन	
	(4) उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद्	
	(5) पशु तथा भैंस विकास	
	(6) कुक्कुट विकास	
	(7) भेड़ तथा ऊन विकास	
	(8) सूकर विकास एवं बकरी विकास	
	(9) अन्य पशुधन विकास	
	(10) चारा तथा चरागाह विकास	
	(11) प्रसार तथा प्रशिक्षण	
	(12) प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	
	(13) अन्य व्यय	
	(अ) गौशाला विकास	
	(ब) चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग	
7.	विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभागीय प्राप्तिर्यो	
8.	विगत तीन वर्षों में स्वीकृत पदों की सूची	

## भूमिका

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1944 में की गयी थी। पशुधन के सर्वांगीण विकास पशु चिकित्सा, रोग नियंत्रण, प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से आरम्भ किया गया। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ कर कृषि के साथ-साथ पशुपालन वृहत्तर योगदान कर रहा है। पशुधन विकास के चार प्रमुख आयाम, उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबन्धन एवं पशु पोषण के क्षेत्र में समग्र प्रयास, पशुधन के चहुंमुखी विकास का प्रमुख आधार है। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

### पशुपालन विभाग की संरचना

प्रदेश में प्रथम वार 2 निदेशक के पदों का सृजित है एवं दोनों निदेशक यथा निदेशक ( प्रशासन एवं विकास) तथा निदेशक ( रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) अपने-अपने पदों पर पदासीन है। दोनों निदेशकों को विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं कार्य क्रियान्वयन में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड-1), एक - वित्त नियंत्रक एवं एक - संयुक्त निदेशक (प्रशासन) के पद भी सृजित हैं।

#### (1) मुख्य उद्देश्य:-

1. प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को स्वावलम्बी बनाना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना।
3. विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
4. प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं कार्यक्रम का संचालन करना।
5. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक स्वावलम्बन सुनिश्चित करना ।
6. पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
7. चयनित पैरावेटों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।
8. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।
9. पशु चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का समावेश ।
10. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
11. उद्यमिता विकास से सम्बंधित योजनाओं को संचालित करना।

## (2) पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम

1. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
2. गाय एवं भैंस विकास
3. कुक्कट विकास
4. भेड़-बकरी विकास
5. सूकर विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा और चरागाह विकास
8. गौशाला एवं गो सदनों का विकास
9. गो सेवा आयोग का सुदृढीकरण
10. पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम
11. प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यिकीय
12. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाएँ
13. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन
14. उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम
15. वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन
16. 20वीं पशुगणना कार्यक्रम
17. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनायें

### उपलब्धियाँ

- प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 275.53 (अनन्तिम) लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2016-17 में 2288.95 (अनन्तिम) मिलियन अण्डे एवं 12.86 (अनन्तिम) लाख किलोग्राम ऊन का उत्पादन किया गया।
- प्रदेश मांस उत्पादन एवं निर्यात में भी प्रथम स्थान पर है।
- प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में प्रतिवर्ष 6 माह के अन्तराल पर दो चरणों में शत-प्रतिशत पशुओं को खुरपका-मुँहपका रोग का टीका लगाकर रोग मुक्त क्षेत्र की स्थापना के लिये प्रयास किया जा रहा है।
- प्रदेश में गोवंशीय एवं महिषवंशीय दुधारू पशुओं में बढ़ती हुई बाँझपन की समस्या के निराकरण हेतु विशेष योजना लागू कर 03.17 लाख पशुओं की वर्ष 2016-17 में बाँझपन चिकित्सा से आच्छादित कर पशुओं को प्रजनन के योग्य बनाकर दुग्ध उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी प्राप्त की गयी है। वर्ष 2017-18 में लक्ष्य 12000 के सापेक्ष अध्ययन 7042 बाँझ पशुओं की चिकित्सा भी की गई है।
- पशु एवं कुक्कट आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु अत्याधुनिक परिवेश की न्यूट्रीशन प्रयोगशाला, लखनऊ मुख्यालय पर स्थापित कर क्रियाशील है।
- ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से ग्राम पंचायत स्तर पर पैरावेट्स का चयन करते हुए पशु प्रजनन क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

- कामधेनु योजना (100 दुधारू गाय / भैंस), मिनी कामधेनु (50 दुधारू गाय / भैंस) एवं माइक्रो कामधेनु (25 दुधारू गाय/ भैंस) योजनान्तर्गत मार्च, 2017 तक लक्ष्य क्रमशः 300, 1500 एवं 2500 इकाईयों की स्थापना के सापेक्ष 286, 1443 एवं 2052 इकाईयाँ स्थापित हुई हैं। इस योजना से प्रदेश में 7.32 लाख लीटर अतिरिक्त दुग्ध का उत्पादन प्रतिदिन है। इसके अंतर्गत 14067 व्यक्तियों को रोजगार का सृजन हुआ है तथा इसके साथ-साथ रु० 1646.00 करोड़ का निवेश हुआ है। उच्च गुणवत्ता गायों/भैंसों से योजना के आरम्भ से अध्ययन कुल 632560 संतति प्राप्त हुई है योजनान्तर्गत पशुपालकों 43.75 करोड़ ब्याज की प्रतिपूर्ति की गई है ।
- कुक्कुट विकास नीति 2013 के अंतर्गत माह 12/2017 तक 3000 पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर फार्म की क्रमिक लक्ष्य 238 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 185 इकाईयाँ तथा 10000 पक्षी क्षमता की 516 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष 130 इकाईयाँ क्रियाशील है, जिनसे प्रदेश में 60.28 लाख अण्डों का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। इस कार्यक्रम को लागू किये जाने से प्रदेश में 22820 व्यक्तियों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। योजनान्तर्गत प्रदेश में रु० 529.76 करोड़ का निवेश हुआ है।
- प्रदेश अंतर्गत बैकयार्ड कुक्कुट योजना में 15000 इकाईयों की स्थापना से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ।
- जन समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं० 1800 180 5141 एवं लैंडलाइन नं० 0522-2741991 है।

### (3) पशुधन का स्तर:

पशुगणना वर्ष 2007 (18वीं पशुगणना) तथा 2012 (19वीं पशुगणना) के अनुसार प्रदेश में पशुधन संख्या (कुत्तों सहित) क्रमशः 693.69 लाख तथा 746.71 लाख रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शित है:-

पशु प्रजाति का विवरण	(संख्या लाख में)		(तालिका - 1)
	पशुओं की संख्या वर्ष 2007	पशुओं की संख्या वर्ष 2012	वृद्धि/हास का प्रतिशत
कुल पशुधन	693.69	746.71	7.64
कुल गोवंशीय	190.97	205.66	7.69
1 दूध दे रही	45.47	58.83	29.38
2 सूखी	14.04	23.72	68.95
कुल महिषवंशीय	264.40	306.25	15.83
1 दूध में	91.86	105.38	14.72
2 सूखी	25.75	34.12	32.50

कुल बकरी	148.29	155.86	5.10
कुल भेड़	14.00	13.54	(-) 3.29
कुल सूकर	19.87	13.34	(-) 32.86
अन्य पशुधन	2.13	2.60	22.64
कुत्ते	54.03	49.46	(-) 8.46
कुक्कुट	178.80	186.68	4.41

19वीं पशुगणना 2012 में कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या में 10.09 लाख छुट्टा गोवंशीय सम्मिलित हैं।

(4) उत्पादकता एवं उत्पादन:

अ- उत्पादकता:-

वर्ष 2015-16 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विभिन्न पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन तथा प्रति पशु औसत उत्पादकता निम्नवत है:-

(तालिका -2 )

क्रमांक	पशुजन्य पदार्थ का नाम	पशु प्रजाति का नाम	इकाई	वर्षवार औसत उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन (भारित औसत)	
				2015-16	2016-17
1	दुग्ध उत्पादन	क- स्वदेशी गाय	किलोग्राम	2.938	2.956
		ख- विदेशी गाय	किलोग्राम	7.045	7.854
		गाय औसत सम्पूर्ण	किलोग्राम	3.785	3.824
		ग- भैंस	किलोग्राम	4.332	4.429
		घ- बकरी	किलोग्राम	0.763	0.761
		क1-स्वदेशी गाय	किलोग्राम	3.373	3.386
		क2-अवर्णित गाय	किलोग्राम	2.151	2.174
		ख1-विदेशी गाय	किलोग्राम	7.852	7.854
		ख2-क्रास ब्रीड गाय	किलोग्राम	6.955	7.014
		ग1-स्वदेशी भैंस	किलोग्राम	4.661	4.763
ग2-अवर्णित भैंस	किलोग्राम	3.193	3.246		
2	अण्डा उत्पादन	क-अवर्णित	संख्या	136.4	141.4
		ख-उन्नतिशील	संख्या	211.3	204.6
		ग-औसत सम्पूर्ण	संख्या	192.8	190.5
3	ऊन उत्पादन	भेड़	किलोग्राम	0.889	0.901

ब-उत्पादन स्तर:- प्रदेश में पशुजन्य उत्पादों का उत्पादन स्तर निम्नलिखित है:-

(तालिका - 3)

क्र० सं०	पशुजन्य उत्पादों का नाम	इकाई का नाम	2006-07 का स्तर	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त की उपलब्धि	बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 15-16 का पूर्ति	वर्ष 16-17 का लक्ष्य	वर्ष 2016-17 की पूर्ति
1	दूध	लाख मी०टन	180.946	225.568	362.455	263.87	362.455	275.53
2	अण्डा	मिलियन	948.318	1607.613	1876.579	2192.85	1876.579	2288.95
3	ऊन	लाख कि.ग्रा.	14.608	14.202	26.233	12.64	26.233	12.86

(5) विभागीय आय-व्ययक स्तर:- (अनुदान संख्या-15 के अधीन)

विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु योजनाओं के अन्तर्गत धन की व्यवस्था की गयी है। विभाग के अन्तर्गत निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं:-

1. निदेशन तथा प्रशासन
2. पशुचिकित्सा सेवार्यें तथा पशु स्वास्थ्य
3. पशु तथा भैंस विकास
4. कुक्कुट विकास
5. भेड़ तथा ऊन विकास
6. अन्य पशुधन विकास
7. चारा तथा चारागाह विकास
8. प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय
9. पशु चिकित्सा शिविर एवं प्रचार-प्रसार

वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत निम्न धन का आय-व्ययक प्राविधान हुआ है जिसका विवरण निम्नवत है:-

(तालिका - 4)

क्र०सं०	मद का नाम	(रु० लाख में)
1	अधिष्ठान	85694.91
2	आकस्मिक	83110.22
	योग मतदेय	168805.13
	भारित	13.79



पशुपालन का वर्तमान स्तर:-

उत्तर प्रदेश विशाल जनसंख्या एवं क्षेत्रफल वाला प्रदेश है। प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है जो राष्ट्रीय जनसंख्या का लगभग 16.16 प्रतिशत है। प्रदेश में अनुमानत 70 प्रतिशत लोग आज भी गाँव में निवास करते हैं एवं कृषि आधारित कार्य उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। गाँवों में निवास कर रही जनसंख्या का 65 प्रतिशत छोटे, 7.8 प्रतिशत दो एकड़ से कम जोत वाले तथा 27.2 प्रतिशत दो से पांच एकड़ की जोत वाले कृषक है। अधिक जनसंख्या एवं कम जोत भूमि के कारण प्रदेश के बहुसंख्यक किसानों को कृषि के साथ-साथ अन्य सम्बंधित कार्य अपनी जरूरतों की पूर्ति हेतु करना पड़ता है। ऐसे ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि छोटी जोतों पर भी यह किसानों को नियमित एवं सुनिश्चित आय सुलभ कराता है। वस्तुतः इन्हीं लघु कृषकों / भूमिहीन कृषि श्रमिकों द्वारा प्रदेश में उपलब्ध पशुधन का लगभग 90 प्रतिशत पशुओं का पालन-पोषण किया जाता है।

प्रदेश, दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 339 ग्राम प्रतिदिन है। उपरोक्त तालिका- 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रति गाय अथवा प्रति भैंस औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 3.785 तथा 4.332 किलोग्राम है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि की असीम सम्भावनायें हैं।

प्रदेश, सकल अण्डा उत्पादन में देश में आठवें स्थान पर है। प्रदेश में उत्पादित कुल अण्डे का 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। प्रदेश में पक्षियों से प्रति पक्षी औसत वार्षिक अण्डा उत्पादन की संख्या 190.5 है। अण्डा/मांस के उत्पादन-खपतों के अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 45 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों का प्रतिदिन निकटस्थ प्रदेशों से आयात करना होता है। इस प्रकार कुक्कुट पालन व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावनायें हैं।

प्रक्रियात्मक रणनीति

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायें जाने हेतु बल दिया गया है: -

- पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- पशुओं में अनुवर्तता निवारण शिविरो का आयोजन करना।
- उन्नत पशु प्रजनन को 32.5 प्रतिशत (128.40 लाख) के स्तर से 66 प्रतिशत (176 लाख) तक वर्ष 2018-19 में बढ़ाना।
- कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों एवं कामर्शियल लेयर इकाईयों की स्थापना।

- कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
  - सूकर एवं भेड़ए बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
  - पशुओं को उचित पोषण सुनिश्चित करने हेतु चारा एवं चारागाह विकास कार्यक्रम संचालित करना।
  - स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।
- वर्ष 2018-19 हेतु प्राथमिकतायें -**
- दुधारू पशुओं की तस्करी रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना ।
  - अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग से सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
  - फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर पशु संरक्षण की योजना
  - प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना
  - कृषिको की आय जो दुगुना किये जाने में पशुपालन की अहम् भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना ।
  - विभिन्न कार्यक्रमों, यथा पशु प्रजनन, पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
  - किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएं तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
  - उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-13 का विस्तारीकरण करना ।
  - ब्रीडिंग एक्ट को लागु करना ।
  - नयी प्रजनन निति 2017 को लागु करना ।
  - चारा सुरक्षा निति को लागु करना ।

विभागीय संस्थाएं

तालिका -6

क्र०सं०	संस्था का नाम	वर्ष 2017-18 की वास्तविक स्थिति
1	पशु चिकित्सालय	2202
2	पशु सेवा केंद्र	2575
3	द श्रेणी पशु औषधालय	267
4	सचल पशु चिकित्सालय	25
5	पोलीक्लीनिक	06
6	केन्द्रीय प्रयोगशाला	01
7	मण्डलीय प्रयोगशाला	10

8	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	5043
9	तरल नत्रजन केन्द्र	02
10	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र	03
11	सघन भंड विकास परियोजना	01
12	मेढा केंद्र	05
13	भंड तथा ऊन प्रसार केंद्र	180
14	भेड़ प्रक्षेत्र	02
15	राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	06
16	भदावरी भैस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र	01
17	राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र	10
18	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र	06
19	सूकर रोग निदान प्रयोगशाला	01
20	सूकर पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
21	बत्तख प्रक्षेत्र	01
22	बटेर प्रक्षेत्र	01
23	कुक्कुट काम्प्लेक्स	09
24	कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला	01
25	सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक लैब	10
26	कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केन्द्र	01
27	कुक्कुट प्रक्षेत्र	11
28	पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल यूनिट	02
29	पशुशव उपयोग प्रशिक्षण केन्द्र, बकशी का तालाब, लखनऊ	01
30	पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र	06
31	बोवाइन स्टर्लिटी एवं इन्फर्टिलिटी नियंत्रण प्रयोगशाला	09
32	थनैला रोग नियंत्रण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
33	टी०बी०, ब्रूसेल्ला एवं जोनाईन यूनिट, मुख्यालय	01

34	आहार परीक्षण प्रयोगशाला, मुख्यालय	01
35	इपिडिमियोलोजी यूनिट, मुख्यालय	01
36	कैनाईन रैबीज कन्ट्रोल यूनिट	10
37	पशु जैविक औषधि संस्थान, लखनऊ	01

## ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत प्रमुख कार्यक्रम

पशुपालन विभाग अन्तर्गत विभाग में एक ई-गवर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट (<http://animalhusb.up.nic.in>) कार्यरत है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न प्रशिक्षण आदि की महत्वपूर्ण जानकारी इन्टरनेट पर प्रेषित की गई है। वेबसाइट समय-समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती हैं। विभाग के टेण्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। वेबसाइट पर सभी पशुचिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 19वीं पशुगणना के ऑकड़े भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही वित्तीय स्वीकृतियाँ, बजट एवं आवंटन तथा अन्य विभागीय शासनादेश भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं।

वर्तमान में निदेशालय के प्रत्येक अनुभाग में कम्प्यूटर कार्यरत है। प्रदेश के 18 मण्डलीय कार्यालयों एवं जनपद मुख्यालयों पर भी कम्प्यूटर स्थापित एवं कार्यशील हैं। विभागीय सूचनाओं के त्वरित प्रेषण हेतु विभाग द्वारा अधिक से अधिक ई-मेल एवं वेबसाइट का प्रयोग किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं अन्य सभी प्रकार के देयकों का त्वरित एवं सुगमतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ई-पेमेन्ट प्रणाली लागू की गई है। बजट आवंटन प्रक्रिया को भी पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा बजट आवंटन का कार्य आनलाइन किया जा रहा है।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर एक **पशुधन समस्या निवारण केन्द्र** की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सप्ताह के सातों दिन कार्यरत हैं। उक्त केन्द्र पूर्णतया आन लाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन संबंधी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

विभाग अन्तर्गत जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा सूचना तकनीक का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है एवं इस हेतु उन्हें कम्प्यूटर संचालन, इन्टरनेट, ई-मेल आदि का प्रशिक्षण भी मुख्यालय पर दिया गया है।

भारत सरकार के पशुपालन एवं डेरी विभाग के सहयोग से पशु रोगों पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के उद्देश्य से **नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग इन्फार्मेशन सिस्टम (एन0ए0डी0आर0एस0) आनलाइन** नेटवर्क प्रदेश में स्थापित किया गया है। जिससे ब्लाक स्तर के पशु चिकित्सालय पशुरोगों की निगरानी हेतु जनपदीय कार्यालयों से एवं मुख्यालय के एन0ए0डी0आर0एस0 सेल से जुड़ गये हैं एवं डिजीज रिपोर्टिंग का कार्य चल रहा है, जिससे निरन्तर पशुरोगों की निगरानी एवं नियंत्रण में प्रभावी एवं गुणात्मक सुधार आयेगा।

# वित्तीय आवश्यकतायें

(तालिका-क)

## क- कार्यक्रम का वर्गीकरण

(धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान
	2016-17			2017-18
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
001.निदेशन तथा प्रशासन	106.5	61083.67	61190.20	81472.38
101.पशुचिकित्सा सेवार्यें तथा पशुस्वास्थ्य	21928.29	—	21928.29	25434.82
102.पशु तथा भैंस विकास	14962.58	215.10	15177.68	21851.96
103.कुक्कुट विकास	1611.02	—	1611.02	3621.60
104.भेड़ तथा ऊन विकास	25.00	—	25.00	14.66
106.अन्य पशुधन विकास	10.53	3593.98	3604.51	5547.34
107.चारा तथा चारागाह विकास	157.08	—	157.08	225.20
113.प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय	275.16	—	275.16	286.86
800.अन्य व्यय	669.24	3129.64	3798.88	5021.96
2013. मंत्रि परिषद्	—	0.10	0.10	0.10
भारित	—	—	—	13.79
<b>योग-मतदेय</b>	<b>39745.43</b>	<b>68022.49</b>	<b>107767.92</b>	<b>143476.88</b>
कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान
	2017-18			2018-19
001.निदेशन तथा प्रशासन	82354.79			88139.06
101.पशुचिकित्सा सेवार्यें तथा पशु स्वास्थ्य	25524.82			21121.60
102.पशु तथा भैंस विकास	22351.97			25007.26
103.कुक्कुट विकास	3819.00			2100.00
104.भेड़ तथा ऊन विकास	14.66			134.66
106.अन्य पशुधन विकास	5547.34			5553.62
107.चारा तथा चारागाह विकास	100.47			520.65
111.मांस संसाधन	—			-402.83
113.प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यकीय	476.28			3423.83
800.अन्य व्यय	5021.96			22401.42
2013. मंत्रि परिषद्	0.10			0.20
भारित	13.79			13.79
<b>योग-मतदेय</b>	<b>145211.39</b>			<b>168805.13</b>

**ख -उद्देश्यवार वर्गीकरण**

(तालिका ख)

(धनराशि लाख रू0 में)

कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान
	2016-17			2017-18
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
1-वेतन	691.39	32610.11	33301	72822.36
2-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)	40.22	2879.69	2919.87	3923.54
3-महगाई भत्ता	545.81	26412.63	26958.44	4368.94
4-यात्रा भत्ता	169.12	81.98	251.11	281.90
5-अन्य भत्ता	30.19	1373.92	1404.11	2000.52
6-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष				4932.43
7-प्रासांगिक :-	22398.90	4664.20	27063.10	
(क)सामान्य	.	.	.	41416.09
(ख)भारित	15869.80	.	15869.80	13.79
8-पूँजीगत परिव्यय	<b>39745.43</b>	<b>68022.49</b>	<b>107767.92</b>	13731.10
<b>कुल योग</b>				<b>143476.88</b>
कार्यक्रम	पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान
	2017-18			2018-19
1-वेतन		72902.36		75673.78
2-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन)		3923.54		11946.00
3-महगाई भत्ता		4378.94		7559.05
4-यात्रा भत्ता		309.40		463.80
5-अन्य भत्ता		2000.82		2043.25
6-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष		4932.43		4715.16
7-प्रासांगिक :-				
(क)सामान्य		42989.95		50633.65
(ख)भारित		13.79		13.79
8-पूँजीगत परिव्यय		13773.95		15770.44
<b>कुल योग</b>		<b>145211.39</b>		<b>168805.13</b>

**ग-वित्तीय साधनों का स्रोत**

(तालिका ग)

(लाख रू0 में)

अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान
	2016-17			2017-18
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
15-2013 मंत्रि परिषद	.	0.10	0.10	0.10
15-2403 पशुपालन	23875.63	68022.39	91898.02	129745.68
15-4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	15869.80	.	15869.80	13731.10
भारित				13.79
<b>कुल योग</b>				<b>143476.88</b>
अनुदान संख्या/ लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान
	2017-18			2018-19
15-2013 मंत्रि परिषद		0.10		0.20
15-2403 पशुपालन		131437.34		153034.49
15-4403 पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		13773.95		15770.44
भारित		13.79		13.79
<b>कुल योग</b>		<b>145211.39</b>		<b>168805.13</b>

# वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

## 1-निदेशन तथा प्रशासन

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान
	2016-17			2017-18
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	
निदेशन तथा प्रशासन				
मतदेय	106.53	61083.67	61190.20	81472.38
भारित	--	-	-	13.79
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान
	2017-18			2018-19
निदेशन तथा प्रशासन				
मतदेय	82354.79			88139.06
भारित	13.79			13.79

### परिचयात्मक:-

मण्डलों में अपर निदेशक, ग्रेड-II तथा जनपदों में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का पद सृजित है। जनपदीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के पशुपालन के क्रिया-कलापों के उचित प्रशासन तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं। विभागीय अधिकारियों द्वारा क्षेत्र के कार्यकलापों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के समय पायी गयी विशेष बातों के सम्बन्ध में निदेशालय से सम्बन्धित अधिकारियों तथा मण्डलाधिकारियों को यथोचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है।

### कार्यभार का सारांश, वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

विभागीय कार्यकलापों का संचालन मण्डल स्तर पर अपर निदेशक, ग्रेड-II तथा जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादित किया जाता है।

## 2-पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशु स्वास्थ्य वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि (रू0 लाख में)

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान
	2016-2017			2017-2018
	आयोजनागत	आयोजनेतर	योग	
पशुचिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	21928.29	0.00	21928.29	14322.08
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित आँकड़े			आय-व्ययक अनुमान
	2017-2018			2018-2019
पशुचिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	25524.82			21121.60



## 1. पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

### परिचयात्मक:-

कृषि के साथ-साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गावों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में **पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य** एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरन्तर आवश्यकता अपरिहार्य हाने के कारण पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्व स्वतः बढ़ गया है।

### उद्देश्य:-

- 1- प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना।
- 2- पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना।
- 3- अनियन्त्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिये जाने हेतु अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना।
- 4- प्रदेश में स्थापित पशुचिकित्सा पाली क्लीनिक के माध्यम से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशुचिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।
- 5- जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जाँच, पैथालोजी की सुविधा उपलब्ध कराना।
- 6- पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करना।
- 7- प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।
- 8- “रिण्डरपेस्ट” जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य करना।
- 9- पशुरोग नियंत्रण की योजना (60 प्रतिशत के0पो0) के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।
- 10- स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।
- 11- भारत सरकार की 60-प्रतिशत सहायता पर एफ0एम0डी0 फ्री जोन का प्रदेश समस्त 75-जनपदों में स्थापना।
- 12- रोगों के रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा किया जाना।

### कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

#### 1- पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम:-

##### (अ)

पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 “द” श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की

स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधायें पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 667-सचल ईकाईयां भी क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशुचिकित्सालय की स्थापना की जानी थी, परन्तु सीमित संसाधन एवं धनाभाव के कारण उत्तर प्रदेश में उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2017-18 में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना, बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के निर्माण के साथ-साथ नवीन पशु सेवा केन्द्रों के खोले जाने व पशु सेवा केन्द्रों के बाउण्ड्रीवाल, अधूरे/जर्जर/भवन विहीन के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ब)

पशु चिकित्सालयों का सुदृढीकरण(पशु चिकित्सालयों का पुनरोद्धार तथा अतिरिक्त उपकरणों की व्यवस्था)-75 प्रतिशत सम्प्रति 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण में चिन्हित जनपदों के अनुमोदित 150-तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। उक्त योजना के द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य 81-तहसील स्तरीय पशु चिकित्सालयों सुदृढीकरण का कार्य पूर्ण। वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशुचिकित्सालयों के सुदृढीकरण अन्तर्गत 92-पशु चिकित्सालयों पर निर्माण कार्य एवं 50-पशु चिकित्सालयों पर अतिरिक्त उपकरणों से व्यवस्थित किये जाने का प्रस्ताव है।

## 2- पॉलीक्लीनिक की स्थापना :-

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पाँच पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत-बागपत तथा सैफई-इटावा में कार्यरत हैं जिनके माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन एवं गायनाकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएं (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इटावा जनपद के सैफई एवं जनपद-बागपत के बड़ौत में स्थापित नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिकों के संचालन हेतु पदों का सृजन हो चुका है, जिसके सापेक्ष प्रश्नगत पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक भी क्रियाशील हो गये हैं। वर्ष 2007-08 में जनपद-गौतमबुध्द नगर में नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक बादलपुर की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसके निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चितकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014-15 में जनपद-बस्ती में नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक, बस्ती की स्थापना हेतु स्वीकृत है, जिसका निर्माण अन्तिम चरण में है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के अन्य 15-मण्डलीय जनपदों के मुख्यालय पर नाबार्ड द्वारा वित्त-पोषित योजना-ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि(RIDF) अन्तर्गत एक-एक नवीन पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक की स्थापना कराये जाने की कार्य-योजना अनुमोदित है। उक्त के सापेक्ष 08-पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों का वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष 07-पशुचिकित्सा पालीक्लीनिकों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

## 3- रोग निदान तथा बीमारियों की खोज:-

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालायें मंडलों पर कार्यरत हैं, जिनके द्वारा पशुरोगों की जाँच एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2004-05 में मण्डलीय प्रयोगशाला बाराणसी

एवं फैजाबाद, वर्ष 2005-06 में बरेली, मुरादाबाद तथा वर्ष 2006-07 में इलाहाबाद एवं आगरा तथा वर्ष 2007-08 में मेरठ में प्रयोगशालाओं को सुदृढीकरण किया गया है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2009-10 तक झांसी व कानपुर प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण का कार्य किया गया है। वर्ष 2010-11 में अलीगढ़ में स्थापित स्वाइन फीवर प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सुदृढीकरण का कार्य किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्त-पोषण से प्रदेश के अन्य 65-जनपदों के मुख्यालय पर एक-एक नवीन रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है।

#### 4- पशुरोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम:-

- (1) पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य 2017-18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।
- (2) पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड-60-प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्योपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017-18 में रिवैलीडिशन की धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75-जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति एच0एस0 टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड-योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरूक करने हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटेनरी कार्मिकों को समय-समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता(एस्कैड)-योजना अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रूप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिये इण्डो पैरासिटिक कण्ट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- (3) वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 75-जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी0पी0आर0 टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम-पी0पी0आर0-सी.पी.(60प्रतिशतके0पी0) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति पी0पी0आर0 टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना है।

- (4) वित्तीय वर्ष 2003-04 से वर्ष 2013-14 तक खुरपका-मुँहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17-जनपदों सम्प्रति 20-जनपदों में कुल 15-चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका-मुँहपका रोग-नियंत्रण कार्यक्रम(एफ.एम.डी.-सी.पी.) के विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75-जनपदों को आच्छादितकर 16वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.-टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 21वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.-टीकाकरण अभियान दिनांक 15 सितम्बर,2017 से चलाया

गया है। उक्त अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तराल पर आगामी चरणों में एफ.एम.डी.-टीकाकरण का नियमित अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

- (5) पशुरोग महामारी की निगरानी तथा उसकी रोकथाम के लिए प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों के सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1996-97 से अब तक 153 बीमारियों का सर्वे प्रारम्भ किया गया है, जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर रोग का सर्वे किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार की नेशनल एनीमल डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम(100प्रतिशत के0पो0)-योजना के माध्यम से पर चलाया जा रहा है।
- (6) राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे टी0बी0 ब्रूसेला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रेबीज एवं बोवाइन स्टर्ल्टी इन्फर्टिलिटी एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोग के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगशाला तथा टी0बी0 ब्रूसेला यूनिट स्थापित है। वर्तमान समय में 9 स्टर्ल्टी इन्फर्टिलिटी एवं 10 कैनाइन रेबीज यूनिट एवं 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित है।
- (7) पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ऑन ब्रुसेल्लोसिस(एन.सी.पी. बी.)-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय पोषण से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में गर्भाधान होने के उपरान्त होने वाले संक्रामक गर्भपात(ब्रुसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाने की कार्य योजना वर्तमान में अनुमोदित है।

#### 5- नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिण्डरपेस्ट सर्विलांस एण्ड मानीटरिंग (एन.पी.आर.एस. एम.)

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। परन्तु पूरे प्रदेश में “रिण्डरपेस्ट” जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं बिलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे-बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर0 पी0 रोग वर्तमान समय में नहीं है, परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है, जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु निरन्तर निगरानी आवश्यक है।

#### प्रक्रियात्मक रणनीति:-

पशुचिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है:-

- 1- रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को चिन्हित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदानुसार समीक्षा, मूल्यांकन तथा कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- 2- पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओं में रोगों के रोकथाम संबंधी कार्यक्रमों को पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन प्रचार-प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोगसे भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है, जिससे उत्पादन भी प्रभावित है। कृषि उपज में वृद्धि लाने, भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से जैविक खाद की उपलब्धता इसके उपयोग से कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा पशुओं से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध-पदार्थों की उपलब्धता भी होगी। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार-प्रसार, कृषकों एवं पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ-साथ समय की मांग/क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजनाओं को तैयार करने हेतु रणनीति भी तैयार की जा रही है।

#### पशुरोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

कार्यक्रम	2015-16		2016-17	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1766.04	1116.742	1655.800	1595.52
चिकित्सा	302.86	341.714	302.860	354.73

कार्यक्रम	2017-18		2018-19	
	लक्ष्य	पूर्ति (माह-नवम्बर, 2017 तक)	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1655.800	1188.95	लक्ष्य निर्धारण की कार्यवाही क्रमित	
चिकित्सा	318.08	219.05		

#### रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन

स्वस्थ पशु देश की चल सम्पत्ति हैं। रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी है। मात्र दो रूपये के टीके से पशुपालकों के मूल्यवान पशु की रक्षा होती है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक गरीब पशुस्वामी को इस निमित्त एक ओर तो मात्र दो रूपये व्यय करने होते हैं परन्तु इससे उसके मूल्यवान पशु का जीवन सुरक्षित हो जाता है और दूसरी ओर संक्रामक बीमारी हो जाने पर इसके दुष्प्रभाव से संबंधित क्षेत्र के अन्य पशु भी संक्रमित होने से बच जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता में सतत वृद्धि होती है। पशु-पक्षियों में विभिन्न रोगों के रोकथाम हेतु टीकों के उत्पादन का कार्य निदेशालय स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा किया जा रहा है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ में विभिन्न प्रकार की विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकों (वैक्सीनों) का उत्पादन प्रदेश के 'ड्रग्स' एवं 'कास्मेटिक्स ऐक्ट' के अनुसार विधिवत् निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। संस्थानमें इनके उत्पादन के पश्चात् प्रयोगात्मक पशुओं पर इनका परीक्षण तथा विश्लेषण होता है, उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर ही वितरण हेतु इन्हें जारी किया जाता है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार उत्पादित वैक्सीनों का वितरण संस्थान द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ द्वारा वर्ष 2015.-16 में विभिन्न 08 प्रकार की वैक्सीनों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2015-16 में कुल 285.82 लाख खुराक

वैक्सीन उत्पादित हुई तथा वर्ष 2016-17 में 224.07 लाख खुराक वैक्सीन उत्पादित हुई जैसा कि क्रमशः तालिका-1 व 2 में दर्शाया गया है।

**तालिका-1 रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन (खुराक ..... लाख में)**

क्र० सं०	जैविक औषधियों के नाम	2015-16 (वास्तविक)		2016-17 (वास्तविक)		2017-18 (वास्तविक) 30.11.2017 तक	
		लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
1.	आर०डी०एफ०-1 वैक्सीन	11.00	8.40	8.50	8.50	8.75	0.00
2.	आर०डी०(आर०२बी) वैक्सीन	66.00	66.52	66.00	66.54	67.00	24.40
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	6.60	2.11	4.00	4.00	4.25	0.00
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.30	1.08	1.30	1.10	1.30	0.60
5.	एच०एस०एलम वैक्सीन	245.00	197.76	225.00	133.55	225.00	131.81
6.	बी०क्यू० वैक्सीन	2.20	2.25	2.20	2.33	2.30	0.00
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	5.50	5.50	5.50	5.50	5.60	0.00
8.	इन्ट्रोर्टोक्सीमिया वैक्सीन	2.20	2.20	2.20	2.55	2.30	0.00
<b>योग-</b>		<b>339.8</b>	<b>285.82</b>	<b>314.70</b>	<b>224.07</b>	<b>316.5</b>	<b>156.81</b>

**तालिका-2 वैक्सीन की उपलब्धि एवं वितरण की स्थिति (खुराक ..... लाख में)**

क्र० सं०	जैविक औषधियों के नाम	2016-17 (वास्तविक)		2017-18 (वास्तविक) 30.11.2017 तक	
		वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण	वितरण हेतु उपलब्ध वैक्सीन	वितरण
1.	आर०डी० (आर 2बी) वैक्सीन	81.388	51.592	54.196	42.736
2.	आर०डी०एफ०-1 वैक्सीन	16.200	7.650	8.50	7.87
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	6.110	2.110	4.00	2.95
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.371	1.289	0.682	0.682
5.	एच०एस०एलम वैक्सीन	263.394	253.914	371.280	366.224
6.	बी०क्यू० वैक्सीन	3.762	1.635	4.594	2.317
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	10.918	5.545	5.510	5.30
8.	इन्ट्रोर्टोक्सीमिया वैक्सीन	4.750	2.198	2.550	2.50
9.	पी०पी०आर० वैक्सीन	50.357	10.401	39.956	39.289
10.	एफ०एम०डी० वैक्सीन प्राइवेट	0.721	0.00	0.721	0.721
11.	ब्रुसेल्ला वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>योग-</b>		<b>438.971</b>	<b>336.334</b>	<b>491.989</b>	<b>470.589</b>

नोट- वित्तीय वर्ष 2017-18 में एच०एस० वैक्सीन 239.480 लाख खुराक निदेशालय द्वारा क्रय कर संस्थान को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिये 191416.00 हजार रुपये के बजट की माँग की गई है, जिससे कि संस्थान द्वारा प्रदेश में उपलब्ध बड़े पशुओं, छोटे पशुओं तथा मुर्गियों का संक्रामक रोगों से बचाव के लिए क्षमतानुसार अधिक से अधिक जैविक औषधियों/टीके निर्मित किये जा सकेंगे। प्रस्तावित धनराशि से तालिका-3 के अनुसार वर्ष 2017-18 हेतु लक्ष्य रखा गया है।

**तालिका-3 उत्पादित किये जा रहे वैक्सीनो हेतु वर्ष 2018-19 के लक्ष्य (खुराक ..... लाख में)**

क्र० सं०	जैविक औषधियों के नाम	2017-18 (पुनरीक्षित)		2018-19 (अनुमानित लक्ष्य)	
		उत्पादन	वितरण	उत्पादन	वितरण
1.	आर०डी० (आर 2बी) वैक्सीन	67.00	42.736	67.00	
2.	आर०डी०एफ०-1 वैक्सीन	8.75	7.87	11.00	—
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	4.25	2.95	6.60	—
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	1.30	0.682	1.30	—
5.	एच०एस०एलम वैक्सीन	225.00	131.760	250.00	—
6.	बी०क्यू० वैक्सीन	2.30	2.317	2.30	—
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	5.60	5.30	5.80	—
8.	इन्ट्रोर्टॉक्सीमिया वैक्सीन	2.30	2.50	2.30	—
	<b>योग—</b>	<b>316.50</b>	<b>196.115</b>	<b>346.30</b>	<b>—</b>

तालिका-4 पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ के 2018-19 के वैक्सीन उत्पादन का त्रैमासवार लक्ष्य

क्र० सं०	वैक्सीन का नाम	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	वार्षिक योग
1.	आर०डी० (आर 2बी) वैक्सीन	18.00	18.00	16.00	15.00	67.00
2.	आर०डी०एफ०-1 वैक्सीन	0.00	7.00	4.00	0.00	11.00
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	2.00	2.55	2.05	6.60
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.60	0.00	0.50	0.20	1.30
5.	एच०एस०एलम वैक्सीन	90.00	85.00	0.00	75.00	250.00
6.	बी०क्यू० वैक्सीन	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	3.00	2.80	5.80
8.	इन्ट्रोर्टॉक्सीमिया वैक्सीन	0.00	0.00	2.30	0.00	2.30
	<b>योग—</b>	<b>108.60</b>	<b>112.00</b>	<b>30.65</b>	<b>95.05</b>	<b>346.30</b>

तालिका-5 वर्ष 2018-19 में वैक्सीन उत्पादन का प्रस्तावित माहवार कार्यक्रम

क्र० सं०	वैक्सीन का नाम	4 / 18	5 / 18	6 / 18	7 / 18	8 / 18	9 / 18	10 / 18
1.	आर०डी० (आर 2बी) वैक्सीन	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
2.	आर०डी०एफ०-1 वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.00	2.00
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.85
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
5.	एच०एस०एलम वैक्सीन	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	0.00
6.	बी०क्यू० वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
8.	इन्ट्रोर्टॉक्सीमिया वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>योग—</b>	<b>36.00</b>	<b>36.60</b>	<b>36.00</b>	<b>38.50</b>	<b>39.50</b>	<b>34.00</b>	<b>10.35</b>

क्र० सं०	वैक्सीन का नाम	11 / 18	12 / 18	01 / 19	02 / 19	03 / 19	वार्षिक योग
----------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	-------------

1.	आर0डी0 (आर 2बी) वैक्सीन	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	67.00
2.	आर0डी0एफ0-1 वैक्सीन	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
3.	फाउल पाक्स वैक्सीन	0.85	0.85	0.85	0.60	0.60	6.60
4.	स्वाइन फीवर वैक्सीन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.30
5.	एच0एस0एलम वैक्सीन	0.00	0.00	20.00	25.00	30.00	250.00
6.	बी0क्यू0 वैक्सीन	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
7.	टिशू कल्चर शीप पाक्स वैक्सीन	1.00	1.00	1.00	0.90	0.90	5.80
8.	इन्ट्रोर्टॉक्सीमिया वैक्सीन	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	2.30
	<b>योग-</b>	<b>11.15</b>	<b>9.15</b>	<b>26.85</b>	<b>31.50</b>	<b>36.70</b>	<b>346.30</b>

नोट-क्षेत्रीय माँग के अनुसार उत्पादन एवं वितरण घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

#### 4-उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् वित्तीय माँग

धनराशि लाख रु0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2016-17	2017-18
उ0प्र0 वेटेरिनरी काउंसिल	38.99	70.45
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2017-18	2018-19
उ0प्र0 वेटेरिनरी काउंसिल	70.45	

प्रदेश में पशु चिकित्सा व्यवसाय को रेगुलेट करने तथा पशुपालकों को पशुओं की चिकित्सा स्नातक पशु चिकित्साविदों द्वारा उपलब्ध कराने तथा उन्हें पशु चिकित्सा की आधुनिक पद्धति की जानकारी देने के ध्येय से भारत सरकार द्वारा पारित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम 1984 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत किये जाने के पश्चात इसके अधीन भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् कार्यालय की स्थापना की गई। कार्यालय की स्थापना के उपरान्त से सरकारी तथा गैर सरकारी पशु चिकित्साविदों के पंजीकरण की कार्यवाही की जा रही है। परिषद् की स्थापना की तिथि से दिनांक 31.12.2017 तक किये गये पंजीकरण, नवीनीकरण प्रमाणपत्र तथा निरस्तीकरण की स्थिति निम्नवत है :-

1-पंजीकरण :- 6883

2-नवीनीकरण :- 9042

3- निरस्तीकरण:- 415

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पूर्ण व सही पाये जाने पर उनका शत प्रतिशत पंजीकरण/नवीनीकरण किया जाता है। बी0वी0एस0 सी0 एण्ड ए0एच0 कोर्स की समाप्ति पर जितने भी आवेदन पत्र प्रोविजनल प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त होते हैं, सही पाये जाने पर शत-प्रतिशत अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का लक्ष्य है।

#### 5-पशु तथा भैंस विकास

##### वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण



लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2016-17	2017-18
पशु तथा भैंस विकास	15177.68	21851.96
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2017-18	2018-19
पशु तथा भैंस विकास	22351.97	25007.26

**परिचयात्मक/उद्देश्य :-**

प्रदेश में पशु विकास का कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये चलाया जा रहा है :-

- 1- प्रदेश में पशु प्रजनन नीति वर्ष 2002 से प्रभावी है। पशु प्रजनन नीति को वर्तमान परिपेक्ष्य में विशेषज्ञों के सहयोग से रिव्यू किया जाना।
- 2- कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य वर्ष 2016-17 में 130.00 लाख निर्धारित किया गया है तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 160.00 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किये जाने का लक्ष्य है जिससे प्रदेश की कुल प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 75 प्रतिशत आच्छादन हो जायेगा।
- 3- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का सुदृढीकरण कर पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराना।
- 4- प्रत्येक पशुचिकित्सालय क्षेत्र में बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन कर बांझपन समस्या से ग्रस्त पशुओं का उपचार कर प्रजनन योग्य बनाना है एवं पशुओं में परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जाना।
- 5- उच्च गुणवत्ता के जर्म प्लाज्म को बढ़ावा देने हेतु तथा प्रदेश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कामधेनु योजना लागू किया जाना।
- 6- पशुओं में परजीवी कृमिनाशक दवापान, मिनरल मिक्सचर, टीकाकरण/कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाया जाना।
- 7- ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन संबंधी स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

पशु विकास कार्यक्रम वस्तुतः मुख्य रूप से उन्नत प्रजनन पर आधारित है, जिसके लिये 5043 विभागीय संस्थाओं द्वारा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। स्वरोजगार के अन्तर्गत प्रशिक्षित 8168 पैरावेटस के द्वारा भी कृत्रिम गर्भाधान सेवा पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध करायी जा रही है। विभाग द्वारा 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्रा का उत्पादन किया जाता है।

**अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का वर्षवार लक्ष्य व उत्पादन निम्नवत् है :- आंकड़े (लाख में)**

क्र० सं०	मद	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	अतिहिमीकृत वीर्य स्ट्राज का उत्पादन	8.45	4.41	12.50	6.39	20.00	20.67	50.00	22.01	50.00

**प्रदेश में पशु प्रजनन नीति :-**

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के चरणबद्ध रूप से 50-75 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) पशुओं को प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांडों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है :-

- 1- दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोवंश को विदेशी नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रॉस तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्ट्रीन फ्रीजियन व इनका क्रॉस अनुमोदित है।

- 2- विशुद्ध भारतीय मूल के संरक्षण व संबर्द्धन हेतु इनके उच्चवर्गीकरण के लिये शुद्ध भारतीय नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।
- 3- विदेशी रक्त को 50 प्रतिशत बनाए रखने के लिये स्वदेशी सांडों का वीर्य, संकर प्रजनन हेतु प्रयोग किया जा रहा है तथा संकर नस्ल के सांडों से गर्भित कराया जा रहा है।
- 4- महिषवंश के उच्चवर्गीकरण हेतु मुरा व भदावरी नस्ल के सांडों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।
- 5- वर्ष 2004-05 से विभाग मे वायफ के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के आर्थिक विकास /उन्नयन हेतु जनपदों में 512 केन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन केन्द्रों पर अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया जा रहा है।
- 6- वर्ष 2011-12 से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 120 केन्द्र एवं अन्य जनपदों में वायफ द्वारा 232 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र संचालित करने हेतु शासन के ग्राम विकास विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया।

#### उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना:-

यह विश्व बैंक पुरोनिधानित योजना है। इसके अन्तर्गत पशुपालन सेक्टर में स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 तक 1837 पैरावेट्स कार्यशील किये गये हैं। इस योजना में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम प्रमुख रहा है। उ०प्र० पशुधन विकास परिषद द्वारा 1600 पैरावेटों का चयन वर्ष 2013-14 में किया गया है।

प्रदेश में पशु प्रजनन कार्य के लिए विभाग द्वारा निम्नवत् सांडों को रखा गया है

(तालिका-17)

क्र०सं०	मद	गाय	भैंस	योग
1.	अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्रों पर	70	66	136
2.	बुन्देलखण्ड संभाग में वितरित सांडों की संख्या	1437	204	1641
3.	प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांडों की संख्या	5208	1006	6214
<b>योग</b>		<b>6715</b>	<b>1276</b>	<b>7991</b>

#### पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनाएँ:-

- 1- गाय / भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जि०यो०)
- 2- गाय/भैंसों में पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)
- 3- गाय एवं भैंस विकास डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना(राज्य योजना)।
- 4- कामधेनु इकाईयो की ब्याजमुक्त ऋण योजना।
- 5- अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।

त्रैमास का नाम	मद का नाम	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	माह सितम्बर 2016 तक की पूर्ति	लक्ष्य	माह दिसम्बर 2017 तक की पूर्ति	अनुमानित लक्ष्य
प्रथम त्रैमास	रखे गये सांडों की संख्या	अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से						
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1650000	1470171	2411003	1415859	2400018	1798310	2400018
	उत्पन्न संतति की संख्या	598771	536917	612799	548315	612799	551417	674079
द्वितीय त्रैमास	रखे गये सांडों की संख्या	अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से						
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2350000	1819410	2644786	2586774	5099982	2719108	5099982
	उत्पन्न संतति की संख्या	581687	515567	609786	522886	609786	528175	670765
तृतीय त्रैमास	रखे गये सांडों की संख्या	अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से						
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	2350000	1991108	3947499	3411174	3699998	2471725	3699998
	उत्पन्न संतति की संख्या	602887	590688	781456	687598	781456	688151	859602
चतुर्थ त्रैमास	रखे गये सांडों की संख्या	अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से						
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	1900000	3114730	4004704	3946426	4800002		4800002
	उत्पन्न संतति की संख्या	691685	631741	809359	651475	809359		890295
वार्षिक योग	रखे गये सांडों की संख्या	अतिहिमिकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से						
	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या	8250000	8395419	13007992	11360233	16000000	6989143	16000000
	उत्पन्न संतति की संख्या	2475030	2274913	2813400	2410274	2813400	1767743	3094741

### 6- कुक्कुट विकास कार्यक्रम

#### वित्तीय माँग

धनराशि लाख रु० में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय		आय-व्यय अनुमान
	2016-17		2017-18
कुक्कुट विकास	1611.02	1611.02	3621.60
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान		आय-व्यय अनुमान
	2017-18		2018-19
कुक्कुट विकास	3819.00		2100.00

#### वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

#### परिचयात्मक/उद्देश्य

- मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि करना।

2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
3. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर सुलभ कराना।
4. कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का सामान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
7. बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
8. कुक्कुट विकास कार्यक्रम में उद्यमिता का विकास करना।

#### उत्पादन स्तर

1. अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद् की संस्तुति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 182 अण्डा तथा 10.82 कि०ग्रा० कुक्कुट मांस मिलना चाहिए।
2. प्रदेश में 5 अण्डा तथा 0.837 कि०ग्रा० कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष का उत्पादन है।
3. जबकि प्रदेश में 23 अण्डा तथा 0.9873 कि०ग्रा० कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से उपभोग किया जा रहा है।
4. प्रदेश में अण्डा तथा कुक्कुट मांस के कुल उत्पादन के लगभग 35 प्रतिशत निजी क्षेत्र में कार्यरत आर्गनाइज्ड सेक्टर के कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड क्षेत्र में कार्यरत कुक्कुट प्रक्षेत्रों से होता है।
5. इस प्रकार प्रदेश के उक्त दोनों क्षेत्रों में विकास की असीम सम्भावनायें हैं।

#### विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा कुक्कुट विकास की मुख्य रूप से निम्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में बैकयार्ड पोल्ट्री के अन्तर्गत कुक्कुट पालकों की उच्च गुणवत्ता के कुक्कुट चूजों को उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से प्रदेश में कार्यरत 08 कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरियों हेतु पैरेंट पक्षी तथा अन्य व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं:-

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षों में 123 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
2. ब्रायलर पैरेंट फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षों में 6 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना।
4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण।
5. आहार परीक्षण प्रयोगशाला
6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला
7. सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला
8. साल्मोनेला पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल प्रयोगशाला।
9. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा०यो०/एस०सी०पी०/समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)-राज्या योजना
10. रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (65 प्रतिशत केन्द्र पोषित) राज्य योजना

## 1- कामर्शियल कुक्कुट विकास फार्म की स्थापना (राज्य योजना)

प्रदेश में लगभग 1 करोड़ अण्डा प्रतिदिन की दर से अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए 5 वर्षों में 30 हजार कामर्शियल पक्षियों की एक इकाई की दर से कुल 410 इकाईयाँ खोली जायेगी। एक इकाई की कुल लागत ₹0 180.00 लाख आयेगी जिसका 70 प्रतिशत अर्थात् ₹0 126.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात् ₹0 54.00 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस योजना के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों (60 माह) तक राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का वहन उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा। एक इकाई की स्थापना हेतु लगभग 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उद्यमी एक इकाई अथवा इसके गुणक में फार्म की स्थापना कर सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अनुसार लाभार्थी को अन्य सुविधायें यथा योजना हेतु भूमि क्रय पर स्टैम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट, मण्डी शुल्क में छूट, स्टैम्प शुल्क में छूट बिक्रीकर में छूट इत्यादि दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 65 इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष 114 इकाईयों की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 90 इकाईयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक रूप से 186 इकाईयों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या-4064/सैतीस-2-2015-30(116)/2015 दिनांक 11 जनवरी-2016 के आदेशानुसार 30000 पक्षी/इकाई के साथ ही 10000 पक्षी प्रति इकाई की योजना भी शुरू की गयी तथा योजना के अनुसार 30000 पक्षी/इकाई का लक्ष्य 200 इकाई एवं 10000 पक्षी/इकाई का लक्ष्य 630 निर्धारित किया गया। उक्त के अनुसार वर्ष 2015-16 में मार्च-2016 तक कुल 105 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक रूप से 325 इकाईयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा 140 इकाईयों के बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत हुए और 104 इकाईयाँ क्रियाशील हुई। वर्ष 2016-17 में माह मार्च 17 तक (30000 पक्षी/इकाई) कुल 155 इकाईयों के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमिक रूप से 413 इकाईयाँ के सापेक्ष 185 बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत की गयी तथा 161 इकाईयों क्रियाशील हो गयी हैं (प्रदेश में माह जुलाई-2016 तक लगभग अतिरिक्त अण्डा 33.21 लाख उत्पादित हो रहा है) तथा उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत 10000 पक्षी/इकाई में प्रति इकाई योजना की कुल लागत ₹0 70.00 लाख आयेगी जिसका 70 प्रतिशत अर्थात् ₹0 49.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात् ₹0 21.00 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा तथा 5 वर्ष (60 महीने तक केवल 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, इसमें केवल 2 इकाईयों की स्थापना ही एक लाभार्थी कर सकता है तथा विद्युत अधिभार में ₹0 400.00 प्रति इकाई की छूट 10 वर्ष तक प्राप्त होगी। अन्य नियम एवं शर्तें 30000 पक्षी/इकाई की भाँति ही लागू होगी, 10000 प्रति इकाई हेतु वर्ष 2016-17 के लिए कुल लक्ष्य 315 इकाईयों के सापेक्ष 499 इकाईयों के प्राप्त प्रस्तावों में से 135 इकाईयों के बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत हुए हैं और 80 इकाईयाँ क्रियाशील हो गयी हैं। प्रदेश में 2017 तक लगभग अतिरिक्त अण्डा 60.28 लाख प्रतिदिन पैदा हो रहा है। 22820 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा ₹0 529.76 करोड़ का निवेश हुआ है।

## 2- ब्रायलर पैरेंट फार्म की स्थापना (राज्य योजना)

प्रदेश में लगभग 972 लाख कामर्शियल ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए 5 वर्षों में 10 हजार ब्रायलर पैरेंट पक्षियों की एक इकाई के कुल 60 इकाईयाँ खोली जायेगी। एक इकाई की कुल लागत ₹0 206.50 लाख आयेगी। जिसका 70 प्रतिशत अर्थात् ₹0 146.00 लाख बैंक ऋण होगा तथा 30 प्रतिशत अर्थात् ₹0 61.50 लाख मार्जिन मनी होगी जिसे उद्यमी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए बैंक से प्राप्त किये जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों (60 माह) तक राज्य सरकार द्वारा

की जायेगी। 10 प्रतिशत से अधिक ब्याज का वहन उद्यमी द्वारा स्वयं किया जायेगा। एक इकाई की स्थापना हेतु लगभग 6 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। उद्यमी एक इकाई अथवा इसके गुणक में फार्म की स्थापना कर सकता है। अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2013 के अनुसार लाभार्थी को अन्य सुविधायें यथा स्टैम्प शुल्क में छूट, मण्डी शुल्क में छूट इत्यादि दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 2 इकाइयों का ऋण स्वीकृत हो चुका है। स्थापना पर कार्य चल रहा है। वर्ष 2014-15 में भी 10 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 01 इकाई का प्रस्ताव प्राप्त है। इस प्रकार कुल 3 इकाइयों में से मात्र 02 इकाई का ही बैंक ऋण स्वीकृत है। वर्ष 2015-16 में 10 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 2 इकाइयों का ऋण स्वीकृत हुआ है। वर्ष 2016-17 में 15 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष माह जुलाई तक 02 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 45 इकाइयों के लक्ष्य के सापेक्ष 10 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से बैंक द्वारा 2 इकाइयों का ऋण स्वीकृत हुआ। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

### 3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना

वर्तमान में कार्यरत 11 कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा एक बटेर प्रक्षेत्र पर निम्नवत पक्षियों को रखे जाने की क्षमता है:-

क्र०सं०	प्रक्षेत्र का नाम	क्षमता
1.	बाबूगढ़-गाजियाबाद	3000
2.	चकगंजरिया-लखनऊ	3000
3.	मुरादाबाद	2000
4.	भोजीपुरा-बरेली	2000
5.	भरारी-झाँसी	2000
6.	गोण्डा	2000
7.	बिचपुरी-आगरा	2000
8.	इटावा	1000

**कुल 08 प्रक्षेत्र 17000 पक्षियों की कुल संख्या**

**नोट:-** वर्तमान समय में तीन प्रक्षेत्र, मिर्जापुर, मुरादाबाद, फैजाबाद बन्द चल रहे हैं।

**राजकीय बटेर प्रजनन प्रक्षेत्र, चकगंजरिया-लखनऊ 500**

इन प्रक्षेत्रों/हैचरियों पर पैरेंट्स पक्षियों की व्यवस्था तथा उनके आहार एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था रिवाल्विंग फण्ड/आयोजनेत्तर पक्ष से स्वीकृत धनराशि से किया जाता है।

### 4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण

प्रदेश में एक मात्र महानगर-लखनऊ प्रक्षेत्र पर एक कुक्कुट पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजनेत्तर पक्ष से संचालित है। इसके अन्तर्गत सेवाकालीन पशुधन प्रसार अधिकारियों तथा निजी क्षेत्र के कुक्कुट पालकों को कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2015-16 में कुल 112 विभागीय एवं गैर विभागीय कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में जून-2016 तक 45 विभागीय तथा गैर विभागीय कुक्कुट पालक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

### 5. आहार परीक्षण प्रयोगशाला

कुक्कुट पालन में कुक्कुट आहार की गुणवत्ता का विशेष महत्व है। आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से लखनऊ में निदेशालय परिसर में एक आहार परीक्षण प्रयोगशाला आयोजनेत्तर मद में कार्यरत है, जहाँ पर अप्राक्सिमेट प्रिंसेपल के आधार पर आहार में नमी, फूड प्रोटीन, ईथर इम्पट्रेट टोटल एअर, एसिड इन साल्युविन एश तथा कार्बोहाइड्रेड बाइंडिफेरेन्स यूरिया एवं आक्सिटॉक्सिन जाँच करने की व्यवस्था है। वर्ष 2016-17 में कुल 302 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में नवम्बर 2017 तक 228 नमूनों का विश्लेषण किया गया। अब इस प्रयोगशाला पर अप्लाटॉक्सिन डिटेक्शन की भी व्यवस्था हो गयी है।

नई कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश में आहार रेगुलेशन एक्ट को प्रभावी बनाने हेतु निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत इस प्रयोगशाला की आयोजनेत्तर मद से आटो एनेलाइजर के साथ आधुनिक बनाये जाने का प्रस्ताव है।

#### 6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला

प्रदेश में कुक्कुट विकास के साथ-साथ कुक्कुट पक्षियों में नये-नये रोगों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी स्थिति में कुक्कुट व्यवसाय को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से कुक्कुट पक्षियों को होने वाले रोगों का निदान अतिआवश्यक और महत्वपूर्ण है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में निदेशालय परिसर में एक कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत है। इसे आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने की व्यवस्था राष्ट्रीय महत्ता के कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला में कुक्कुट शव विच्छेदन भी किया जाता है। वर्ष 2016-17 में कुल 192 शव विच्छेदन प्रयोगशाला में किये गये। चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक 150 शव विच्छेदन किये गये।

#### 7 सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला

वर्तमान में प्रदेश अन्तर्गत सचल कुक्कुट डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला के रूप में 10 इकाइयाँ मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर व वाराणसी, झाँसी, फैजाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, बरेली में स्थापित हैं। इन सचल प्रयोगशालाओं की स्थापना निजी प्रक्षेत्रों/कुक्कुट पालकों के फार्मों पर पक्षियों को विभिन्न बीमारियों की जाँच तथा निदान के फलस्वरूप रोकथाम के सुझाव देने के उद्देश्य से की गई है ताकि निजी कुक्कुट पालकों की कुक्कुट रोग विषयक समस्याओं का निदान कर इससे कुक्कुट विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयोगशाला में कार्यरत विशेषज्ञ/कर्मि कुक्कुट पालकों के द्वारा पर जाकर कुक्कुट रोगों की जाँच कर निदान सम्बन्धी सुझाव देते हैं।

#### 8. साल्मोनेला पुलोरम डिजीज कन्ट्रोल प्रयोगशाला

वर्ष 1998-99 में 2 पुलोरम डिजीज यूनिट क्रमशः वाराणसी एवं मुरादाबाद में स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई, जो संचालित है। इन प्रयोगशालाओं में निजी प्रक्षेत्रों एवं कुक्कुट पालकों के फार्म पर पाले जा रहे पक्षियों में साल्मोनेला पुलोरम कलर एन्टीजन द्वारा पुलोरम डिजीज की जाँच की जाती है एवं कुक्कुट पालकों को इस बीमारी से बचाव हेतु सुझाव एवं उपचार भी दिये जाते हैं।

#### 9. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (अनुदान सं0-83 रा0यो0)

यह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हें कुक्कुट पालन ट्रेड में एक सप्ताह का प्रशिक्षण समीप के पशु चिकित्सालय पर दिया जाता है उन्हें 50 चूजों की एक इकाई खुलवायी जाती है। प्रति इकाई रू0 3000.00 मात्र का पैकेज व्यय आता है, जो पूर्णतः अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वार तक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 30700 इकाईयाँ खोले जाने का लक्ष्य था। (प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाई) इसके सापेक्ष शत-प्रतिशत 15000 इकाईयाँ खोली गयी। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 30000 इकाईयाँ खोले जाने का लक्ष्य था। प्रदेश के समस्त जनपदों में (जनपदवार) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की शत-प्रतिशत पूर्ति कर ली गई है तथा अनुसूचित जाति के निर्धन/गरीब लाभार्थियों अवस्थापना कर रोजगार का सृजन किया गया।

वर्ष 2016-17 में योजना में प्राविधानित धनराशि रू0 450.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत कर दी गई है तथा प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य 15000 कुक्कुट इकाईयाँ के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति की गयी। वित्तीय वर्ष 2017-18

में योजना के प्राविधानित धनराशि 450.00 लाख स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत की गई जिसे प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए निर्धारित लक्ष्य 15000 कुक्कुट इकाईयाँ गठित की जानी है।

#### 10. रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

यह 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित बी0पी0एल0 लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है। इसके अन्तर्गत मदर यूनिट खोलकर प्रति मदर यूनिट से 300 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को लिंक करके प्रति लाभार्थी 45 एक माह के चूजे दिये जाते हैं। प्रति मदर यूनिट स्थापना के लिए रू0 60000.00 का अनुदान तथा चूजों के शेल्टर/आहार के लिए रू0 1500.00 प्रति लाभार्थी भी दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में 251 मदर यूनिट खोलकर 75300 बी0पी0एल0 लाभार्थियों को लभान्वित किये जाने की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। योजना की कुल लागत रू0 2974.35 लाख है। वर्ष 2016-17 में सामान्य मद में 400.00 लाख का बजट स्वीकृत किया गया जिसके सापेक्ष 40 मदर यूनिट स्थापित कर 9600 लाभार्थियों को लभान्वित किया गया।

वर्ष 2017-18 में रू0 2289.79 लाख धनराशि स्वीकृत की गयी जिससे प्रदेश के आठ मण्डलों के 30 जनपदों में 211 मदर यूनिट स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया

#### प्रक्रियात्मक रणनीति

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने तथा निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निम्न रणनीति बनायी गयी है:-

1. प्रमुख कार्यक्रमों का लक्ष्यों का वार्षिक त्रैमासिक तथा मासिक निर्धारण पर नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन कर कार्यक्रम में आने वाली कठिनाईयों के निस्तारण पर बल दिया गया है।
2. कुक्कुट स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भावित संक्रामक रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण तथा न्यू इमरजिंग डिजीज के रोग निदान की सुविधा कुक्कुट पालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।
3. प्रक्षेत्र में कुक्कुट विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक कुक्कुट प्रोग्राम अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उद्यमियों को इस व्यवसाय में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेगा।
4. बर्ड फ्लू से बचाव हेतु आवश्यक कदम एवं मॉकड्रिल कराये जा रहे हैं।

#### सारांश वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम का नाम विवरण	वर्ष 2016-17 की वास्तविक		वर्ष 2017-18 क्रमिक पूर्ति माह -2017 तक		वर्ष 2018-19 का अनुमान
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	2	3	5	6	7	8
1.	प्रक्षेत्र पर रखे गये प्रजनन योग्य कुक्कुट पक्षी	0.17500	0.10239	0.19500	0.8556	0.17500
	उत्पादिन अण्डे	26.25	5.81625	29.50	2025159	26.25
	उत्पादित चूजे	15.75	1.78760	17.43	0.96406	15.75
2.	तीस दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण	125	66	125	159	125
3.	आहार विश्लेषण	500	302	500	157	500

**नोट:** वर्ष 2015-16 में प्रक्षेत्रों की मांग के अनुरूप बजट प्राप्त न होने एवं तीन प्रक्षेत्र मिर्जापुर, फैजाबाद एवं मुरादाबाद बन्द होने के कारण लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम रही तथा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में चल रहे राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बाबूगढ़-हापुड़, वाराणसी, भोजीपुरा-बरेली एवं



बकेवर-इटावा पर पैरेंट स्टॉक हेतु बजट उपलब्ध न होने के कारण पैरेंट नहीं पाले जा रहे हैं। जिस कारण लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति कम है।

## 7-भेड़ तथा ऊन विकास

### वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

#### वित्तीय माँग

धनराशि लाख ₹0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्ययक अनुमान
	2016-17			2017-18
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	14.66
भेड़. तथा ऊन विकास	25.00	0.00	25.00	
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्ययक अनुमान
	2017-18			2018-19
भेड़. तथा ऊन विकास	14.66			134.66

#### परिचयात्मक :-

- 1- प्रदेश में भेड़ एवं ऊन विकास का मूल उद्देश्य कार्पेट योग्य मीडियम कोर्स ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना।
- 2- भेड़ पालकों के आर्थिक स्तर को उन्नतशील बनाना व कार्पेट निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा का अर्जन।
- 3- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

#### भेड़ विकास कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

मद विवरण	2016-17		2017-18		2018-19
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	अनुमानित लक्ष्य
1.भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं०-2					
उपलब्ध नर मेड़.1-1243					
उपलब्ध मादा भेड़े-1302					
क. उत्पन्न संतति	1150	296	1150	25	1150
ख. प्रजनन हेतु वितरित नर/मादा बच्चे	570	34	570	33	570
2. भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र-180					
मेड़ा केन्द्र-5					
प्रजनन हेतु वितरित मेड़ों की संख्या -1744					
क. गर्भित भेड़ों की संख्या	330000	335921	330000	114498	330000
ख उत्पन्न संतति	230000	222479	230000	44004	230000
ग. दवापान	400000	800446	400000	160920	400000
घ. चिकित्सा	260000	74564	260000	19253	260000

#### भेड़ विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2017-18

क्र० सं०	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य 2017-18	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1.	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित भेड़ों की सं०	1080	270	270	270	270
ख	उत्पन्न संतति सं०	1150	287	287	288	288
ग	प्रजनन हेतु वितरित बच्चे	570	143	1436	142	142
क्र० सं०	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य 2018-19	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास
1.	<u>भेड़ एवं ऊन प्रसार/मेड़ा केन्द्र</u>					

क	गर्भित भेड़ों की सं०	330000	82500	82500	82500	82500
ख	उत्पन्न संतति की सं०	230000	57500	57500	57500	57500
ग	दवापान	400000	100000	100000	100000	100000
घ	चिकित्सा	260000	65000	65000	65000	65000

## 8-सूकर विकास एवं बकरी विकास

### सूकर विकास

#### परिचयात्मक :-

- 1- मानव खाद्य योग्य पदार्थों का आहार व मानव उपयोग हेतु पशुजन्य प्रोटीन युक्त उत्तम सामिष आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूकर पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाना तथा उन्नत प्रजनन सुविधायें उपलब्ध कराकर देशी प्रजाति में संकर प्रजनन कराकर मांस उत्पादन व गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- 2- ग्रामीण परिवेश में स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- 3- निर्बल एवं उपेक्षित वर्ग का आर्थिक उन्नयन करना।

#### सूकर विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र०	मद विवरण	2016-17		2017-18		2018-19 अनुमानित लक्ष्य
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति (माह 25, मई 2016 तक)	
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं०-6, उपलब्ध पशु नर 67, मादा 205					
क	उत्पन्न संतति	1920	1140	1920	366	1920
ख	प्रजनन हेतु वितरित शूकर शावक	13650	1028	1350	304	1350
2	सूकर विकास खण्ड-34					
	नर सूकरयुक्त प०चि० की सं०-415					
क	गर्भित सूकरियों की संख्या	22500	8726	11250	186	11250
ख	उत्पन्न संतति	82500	22707	41250	406	41250

#### सूकर विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2018-19

क्र०	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र० त्रैमास	द्वि० त्रैमास	तृ० त्रैमास	च० त्रैमास
1	सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित सूकरियों की सं०	300	75	75	75	75
ख	उत्पन्न संतति	1920	480	480	480	480
ग	प्रजनन हेतु वितरित शूकर शावक	1350	327	327	328	328
2	सूकर विकास खण्ड-नर सूकरयुक्त पशुचिकित्सालय					
क	गर्भित सूकरियों की सं०	11250	2812	2812	2812	2814
ख	उत्पन्न संतति	41250	10312	10312	10312	10314

### बकरी विकास

#### परिचयात्मक :-

1. समाज के निर्बल आय वर्ग के आर्थिक उन्नयन हेतु परम्परागत सह-उद्योग के रूप में विकसित किया जाना।
2. ग्रामीण परिवेश में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. मानव उपयोग हेतु बकरी जन्य प्रदार्थों यथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

#### बकरी विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

क्र०	कार्य विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
------	-------------	---------	---------	---------

		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	अनुपूर्ति (माह मई 2016 तक)	अनुमानित लक्ष्य
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों की सं०-6 उपलब्ध पशु नर-101, मादा-550					
क	उत्पन्न संतति	325	322	325	77	385
ख	प्रजनन कार्य हेतु वितरित बच्चे	170	71	170	24	170
2	नर बकरा युक्त प०चि० की सं०-1141					
क	गर्भित बकरियों की सं०	170000	16770	170000	1550	170000
ख	उत्पन्न संतति	180000	17157	180000	2563	180000

**बकरी विकास कार्यक्रम की कार्य योजना वर्ष 2018-19**

क्र. सं.	मद विवरण	वार्षिक लक्ष्य	प्र० त्रैमास	द्वि० त्रैमास	तृ० त्रैमास	च० त्रैमास
1	बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र					
क	गर्भित बकरीयों की संख्या	325	81	81	81	82
ख	उत्पन्न संतति	300	75	75	75	75
ग	प्रजनन कार्य हेतु वितरित बच्चे	170	42	42	43	43
2	नर बकरा युक्त पशु चिकित्सालय					
क	गर्भित बकरीयों की संख्या	170000	42500	42500	42500	42500
ख	उत्पन्न संतति	180000	45000	45000	45000	45000

### 9-अन्य पशुधन विकास

#### वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

#### वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू० में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्यय अनुमान
	2016-17			2017-18
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	5547.34
अन्य पशुधन विकास	47.50	3593.98	3604.51	
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान			आय-व्यय अनुमान
	2017-18			2018-19
अन्य पशुधन विकास	5547.34			5553.62

#### राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का परिचयात्मक एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अंतर्गत 10 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र कार्यरत हैं जिनका मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है—

1. भारतीय मूल के गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
2. भारतीय मूल के उन्नतशील नस्ल के सांडों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को प्रजनन हेतु सांडों का उपलब्ध कराना।
3. उन्नतशील प्रजाति के आधारीय तथा प्रमाणित चारा बीजों का उत्पादन करना तथा प्रदेश के पशुपालकों को उपलब्ध कराना।

11 राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों में से 9 प्रक्षेत्र शासन द्वारा वाणिज्यिक एवं 1 प्रक्षेत्र अवाणिज्यिक घोषित हैं। प्रक्षेत्रों पर चल रहे कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है—

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	वाणिज्यिक / अवाणिज्यिक	चलाये जा रहे कार्यक्रमों का विवरण
1	आराजीलाइंस- वाराणसी	वाणिज्यिक	गंगातीरी गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चाराबीज का उत्पादन।
2	आटा-जालौन	अवाणिज्यिक	विभिन्न नस्लों के गो एवं महिषवंशीय नर बच्चों का सांड हेतु सम्बर्धन तथा चारा एवं चाराबीजों का उत्पादन।
3	बाबूगढ़- गाजियाबाद	वाणिज्यिक	हरियाना गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
4	भरारी-झांसी	वाणिज्यिक	थारपारकर गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
5	चकगंजरिया स्थान निबलेट-बाराबंकी	वाणिज्यिक	मुर्दा भैसे एवं साहीवाल गायों का संरक्षण एवं संवर्धन।
6	हस्तिनापुर- मेरठ	वाणिज्यिक	हरियाना गायों एवं मुर्दा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
7	मंझरा-खीरी	वाणिज्यिक	मुर्दा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
8	निबलेट- बाराबंकी	वाणिज्यिक	चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
9	कमियार- बाराबंकी	—	कमियार प्रक्षेत्र का संचालन निबलेट प्रक्षेत्र द्वारा किया जाता है। यह प्रक्षेत्र बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है यहां पर जलभराव होने कारण केवल रबी फसलों के अंतर्गत रबी चारा बीज की फसलें ली जाती हैं यहां पर कोई भी पशु नहीं पाले जा रहे हैं। प्रक्षेत्र पर कोई भी आवासीय एवं अनावासीय भवन नहीं हैं।
10	नीलगांव- सीतापुर	वाणिज्यिक	हरियाना गायों एवं मुर्दा भैसों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।
11	सैदपुर- ललितपुर	वाणिज्यिक	हरियाना गायों का संरक्षण एवं संवर्धन तथा चारा एवं चारा बीजों का उत्पादन।

**कार्यपूति दिग्दर्शक वर्ष 2017-18**  
**राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार दुग्ध उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण**

दुग्ध उत्पादन लीटर में

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	2016-17		वर्ष 2017-18		2017-18(माह दिसम्बर तक)		2018-19 अनुमानित	
		लक्ष्य	पूति	लक्ष्य	पूति	लक्ष्य	पूति	लक्ष्य	पूति
1.	आराजीलाइंस- वाराणसी	80500	70799.5	91000	59465	9100	-		
2.	आटा-जालौन	बुल रियरिंग केन्द्र है दुधारू पशु नही पाले जाते हैं।							
3.	बाबूगढ़- गाजियाबाद	145400	109423.50	200000	113450	200000	-		
4.	भरारी-झांसी	142300	79334.5	151000	72987	151000	-		
5.	चकगंजरिया स्थान निबलेट- बाराबंकी	303100	251721.0	368000	226710	368000	-		
6.	हस्तिनापुर-मेर ठ	100000	106024.0	128000	81369	128000	-		
7.	मंझरा-खीरी	129600	96597.27	213000.0	110475.25	213000.0	-		
8.	निबलेट-बाराबं की	-	-	-	-	-	-		
9.	नीलगांव- सीतापुर	65600	31348.5	84000	35213.85	84000	-		
10.	सैदपुर- ललितपुर	250500	101801.00	274000	136511.0	274000	-		
	<b>योग</b>	1217000	847049.2	1509000	836181.0	1509000.0	-		

**कार्यपूर्ति दिग्दर्शक वर्ष –2017–2018**  
**राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार सांड उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धियों**  
**का विवरण**

क्र०सं०	प्रक्षेत्र का नाम	2016–17		2017–18(दिसम्बर तक)		2018–19( अनुमानित)	
		लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1.	आराजीलाइंस-वाराणसी	17	34	17	21	17	—
2.	आटा-जालौन						
3.	बाबूगढ़-हापुड़	32	56	32	35	32	—
4.	भरारी-झांसी	29	41	29	19	29	—
5.	चकगंजरिया-स्थान निबलेट-बाराबंकी	61	0	61	52	61	—
6.	हस्तिनापुर-मेरठ	21	44	21	24	21	—
7.	मंझरा-खीरी	26	13	26	33	26	—
8.	निबलेट-बाराबंकी	—	—	—		—	—
9.	नीलगांव-सीतापुर	13	56	13	15	13	—
10	सैदपुर-ललितपुर	54	65	54	48	54	—

**राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों का वर्षवार फसलों की बुवाई एवं उत्पादन का लक्ष्य एवं  
उपलब्धियों का विवरण  
कार्यपूर्ति दिग्दर्शक 2017-2018**

क्र० सं०	फसल का नाम	वर्ष 2016-2017		वर्ष 2017-18	2017-18( दिसम्बर तक)	2018-19 (अनुमानित)	
		लक्ष्य	पूर्ति			लक्ष्य	पूर्ति
1-	<b>क्षेत्र आच्छादन का विवरण है० में</b>						
	जायद/ खरीफ चारा	525.00	525.08	555.00	563.48	555.00	—
	रवी चारा	365.00	365.00	383.00	383.00	383.00	—
	खरीफ चारा बीज	880.00	896.66	745.00	748.92	745.00	—
	रवी चारा बीज	958.00	965.13	996.60	996.10	996.60	—
	<b>योग</b>	<b>2728.00</b>	<b>2751.87</b>	<b>2679.60</b>	<b>2691.50</b>	<b>2679.60</b>	<b>—</b>
2-	<b>उत्पादन का विवरण (टन में)</b>						
	<b>क-हरा चारा</b>						
	1-जायद/ खरीफ चारा	17600.00	12664.23	17950.00	14475.18	17950.00	—
	2-रवी चारा	14125.00	12140.31	15150.00	1468.60	15150.00	—
	<b>योग</b>	<b>31725.00</b>	<b>24804.55</b>	<b>33100.00</b>	<b>15943.78</b>	<b>33100.00</b>	<b>—</b>
	<b>ख-सूखा चारा</b>						
	1-खरीफ सूखा चारा	2100.00	804.24	2238.00	796.00	2238.00	—
	2-रवी सूखा चारा	3592.00	1960.85	3716.40	—	3716.40	—
	<b>योग</b>	<b>5692.00</b>	<b>2765.09</b>	<b>59544.00</b>	<b>796.00</b>	<b>59544.00</b>	<b>—</b>
	<b>बीज</b>						
	1-खरीफ बीज	468.00	201.62	449.16	132.62	449.16	—
	2-रवी बीज	1420.80	1058.85	1450.60	—	1450.60	—
	<b>योग</b>	<b>1988.80</b>	<b>1260.47</b>	<b>1899.76</b>	<b>132.62</b>	<b>1899.76</b>	<b>—</b>

**चारा तथा चरागाह विकास:-**

**वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण वित्तीय मांग:-**

क्र० सं०	लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय-व्यय अनुमान		
		2016-17			2017-18		
1.	अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा०यो०)	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
		232.00	—	232.00	—	—	—
2.	अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (रा०यो०)	200.00	—	200.00	200.00	—	200.00
	<b>लेखाशीर्षक</b>	<b>पुनरीक्षित अनुमान</b>			<b>आय-व्यय अनुमान</b>		
		2017-18			2018-19		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (रा०यो०)	200.00	—	200.00	200.00	—	200.00
2	अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा०यो०) <b>अनुदान-15</b>	—	—	—	170.00	—	170.00
3	<b>हस्तचालित/शक्तिचालित कुट्टी</b>	—	—	—	25.20	—	25.20
4	राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना (60प्रति०/40प्रति०) <b>अनुदान-15(पूँजीगत मद)</b>	—	—	—	71.41	—	71.41
5	राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना (60प्रति०/40प्रति०) <b>अनुदान-15(राजस्व मद)</b>	—	—	—	54.04	—	54.04

**1- परिचयात्मक उद्देश्य:-**

पशुओं के संतुलित आहार में चारे का महत्वपूर्ण स्थान है। चारे के अभाव में पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता अत्यन्त प्रभावी ढंग से कम होकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त पशुओं को पौष्टिक चारा मानक के अनुरूप उपलब्ध न होने के दशा में उनके शारीरिक गुणों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक चारों के अभाव में पशुओं के प्रथम व्यात की आयु में बढ़ोत्तरी, दो व्यातों में मध्यान्तर अधिक होना, बांझपन, अंधापन तथा अन्य बीमारियों तथा प्रतिरोधक क्षमता में कमी की सम्भावना बनी रहती है।

पशुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी उत्पादकता तथा प्रतिरोधक बनाए रखने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से कृषकों उन्नतिशील प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराना तथा अपौष्टिक चारों एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना एवं कुट्टी काटकर चारा आपूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में पशुओं के आहार पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

**(अ) राज्य योजनाएं:-**

- 1- चारा एवं चरागाह विकास की योजनान्तर्गत "अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम" (रा०यो०)।
- 2- "अपौष्टिक चारों एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना" (रा० यो०)।
- 3- वर्ष 2018-19 हेतु नई योजना "साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना" (रा०यो०)

**(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं:-**

- 1- पूँजीगत मद के अन्तर्गत "राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना" (60प्रति०/40प्रति०)।
- 2- राजस्व मद के अन्तर्गत "राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना" (60प्रति०/40प्रति०)।

**(अ) राज्य योजनाएं:-**



### 1- अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (रा0यो0):-

वर्ष 2018-19 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 7500 हे० भूमि पर चारा उत्पादन हेतु निःशुल्क उन्नतिशील प्रजातियों के चारा बीज उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की मांग की गई है। योजनान्तर्गत लघु/सीमान्त पशुपालकों का चयन कर 0.1 हे० प्रति इकाई क्षेत्रफल हेतु (रू० 800/-प्रति इकाई की दर से) जई/बरसीम/ज्वार/लोबिया आदि चारा बीज भारत सरकार/राज्य सरकार की संस्थाओं से क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

#### योजना का उद्देश्य:-

1. प्रदेश में हरे चारे की कमी को दूर करने हेतु सहयोग करना।
2. पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3. पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाना।
4. पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
5. पशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना।
6. हरे चारे के उत्पादन में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाना।

### 2- अपौष्टिक चारों एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना (रा० यो०):-

प्रश्नगत योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश के 59573 ग्राम पंचायतों में से 41250 ग्राम पंचायतों में संचालित की गयी। वर्ष 2015-16 में अवशेष रह गयी 17823 ग्राम पंचायतों में से वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध बजट से 7256 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित की गयी। वर्ष 2016-17 की अवशेष 10567 ग्राम पंचायतों में योजना संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि की मांग की गई है। गत वर्षों की भौति प्रत्येक ग्राम पंचायत से 01 पशुपालक का चयन कर भूसे को यूरिया से उपचारित किये जाने हेतु सामग्री का निःशुल्क वितरण कर प्रदर्शन कराया जायेगा।

#### योजना का उद्देश्य:-

पशुओं के स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन के लिए हरा चारा व पशु आहार एक आदर्श भोजन है, किन्तु हरे चारों का वर्षभर उपलब्ध न होना तथा पशु आहार का मूल्य अधिक होना, पशुपालकों के लिए एक समस्या है, सामान्यतः धान व गेहूँ का भूसा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है, लेकिन भूसे में पौष्टिक तत्व बहुत कम होते हैं। (प्रोटीन 04 प्रतिशत से भी कम) भूसे का यूरिया से उपचार करने से पौष्टिकता बढ़ती है, और प्रोटीन की मात्रा उपचारित भूसे में लगभग 09 प्रतिशत हो जाती है। इसके नियमित प्रयोग से पशु आहार की मात्रा में 30 प्रतिशत तक की कमी की जा सकती है। अतः प्रश्नगत योजना का संचालन प्रदर्शन के रूप में करके पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने एवं अपनाकर पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु चलाया जाना।

### 3- साइलेज निर्माण इकाई की स्थापना (रा०यो०)

वर्ष 2018-19 में प्रदेश के 822 विकास खण्डों में से प्रत्येक विकास खण्ड में 10-10 लघु/सीमान्त पशुपालक जो कम से कम 02 पशु पालतें हो, का चयन किया जायेगा तथा उन्हें साइलेज इकाई निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हुए तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे साइलेज बनाने की इस विधि को ग्राम के अन्य पशुपालक देखकर अपने यहाँ भी अपनायेंगे। उक्त कार्य हेतु प्रति इकाई हेतु रू० 1600/-की दर से धनराशि की मांग की गई है।

**(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं:-**

**1- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना (60प्रति0 / 40प्रति0)**

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/राजकीय गोसदनों/जिला गोसदनों की बेकार अथवा परती भूमि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गार्डलाइन के अनुसार **पूँजीगत मद** अन्तर्गत निर्धारित कार्यों जैसे भूमि का विकास, चिन्हांकन, फेन्सिंग, सिंचाई सुविधाओं का विकास, शेड का निर्माण एवंकृषि यंत्रों के कय पर व्यय सुनिश्चित करते हुए चारागाह विकास कार्य कराया जायेगा जिस हेतु धनराशि की मांग की गई है।

**2- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना (60प्रति0 / 40प्रति0)**

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/राजकीय गोसदनों/जिला गोसदनों की बेकार अथवा परती भूमि पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित गार्डलाइन के अनुसार **राजस्व मद** अन्तर्गत निर्धारित कार्यों जैसे बीज/खाद एवं उर्वरक/ कीटनाशी के कय पर व्यय, अन्य कृषि कार्यों पर व्यय, सिंचाई पर व्यय, भण्डार/डेड स्टॉक के मरम्मत पर व्यय करते हुए चारागाह विकास कार्य कराया जायेगा जिस हेतु धनराशि की मांग की गई है।

**योजना का उद्देश्य:-**

प्रश्नगत योजना अन्तर्गत राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/राजकीय गोसदनों/जिला गोसदनों की बेकार अथवा परती भूमि जो अनुपयोगी पड़ी हुयी है, को समतलीकरण कर सिंचाई सुविधाओं इत्यादि से व्यवस्थित करके उन्नतशील चरागाहों का विकास किया जाना है। प्रश्नगत चरागाह विकसित हो जाने के पश्चात् वर्षभर हरा चारा उत्पादित होगा, जिसे चराई तथा कटाई कर पशुओं को खिलाया जा सकेगा, इससे पशुओं को वर्षभर पौष्टिक हरा चारा मिलने से उनके स्वास्थ्य तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

**(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं:-**

**1- परती (वेस्ट लैण्ड)/गोचर भूमि पर चरागाह विकास की योजना (100प्रतिशत के0पो0):-**

इस योजनान्तर्गत ग्राम समाज की परती भूमि गो सदनों/गोशालाओं की भूमि तथा विभाग के प्रक्षेत्रों की भूमि को समतलीकरण कर उन्नतशील चरागाहों का विकास किया जाता है। यह योजना भारत सरकार से एक भाग में संचालित की जाती है, परन्तु प्रदेश सरकार से इसके संचालन में दो भागों में आवंटित कर प्रथम भाग राजस्व मद तथा द्वितीय भाग पूँजीगत मद है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2016-17 में राजस्व मद में कार्य किया जाना है पूर्व वित्तीय वर्षों में पूँजीगत मद का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, राजस्व मद में रु0 28,00,000.00 का कार्य किया जाना अवशेष है।

**योजना का उद्देश्य:-**

प्रश्नगत योजना अन्तर्गत ग्राम समाज की परती भूमि जो चरागाहों हेतु आरक्षित है, परन्तु अनुपयोगी पड़ी हुयी है तथा गो सदनों/गोशालाओं तथा विभाग के राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि जो अनुपयोगी पड़ी हुयी है को समतलीकरण कर सिंचाई सुविधाओं इत्यादि से व्यवस्थित करके उन्नतशील चरागाहों का विकास किया जाता है, इसके अन्तर्गत ग्राम समाज की भूमि की एक यूनिट (10 हे0 भूमि) की रु0 10.00 लाख तथा गो सदनों/गोशालाओं तथा विभागीय प्रक्षेत्रों को एक यूनिट (10 हे0 भूमि) की रु0 6.50 लाख में विकसित किये जाने की योजना है। प्रश्नगत चरागाह विकसित हो जाने के पश्चात् वर्षभर हरा चारा उत्पादित होता है, जिसे चराई तथा कटाई कर पशुओं को खिलाया जाता है, इससे पशुओं को वर्ष भर पौष्टिक हरा चारा मिलने से उनके स्वास्थ्य तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

**2- हस्तचालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण की योजना (75 प्रतिशत के0पो0 25 प्रतिशत लाभार्थी अंश (नेशनल लाइव स्टॉक मिशन अन्तर्गत):-**

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों अनुपयोगी सूखे चारों के उपयोगी बनाने के लिए 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान एवं 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश पर हस्तचालित कुट्टी काटने के मशीन का वितरण किया जाना है, जिससे सूखे चारों के गैप को कम किया जा सके, तथा चारों की लागत में भी कमी की जा सके तथा प्रदेश में अनुपयोगी सूखे चारों को उपयोग में लाया जा सके तथा सूखे चारों से उत्पन्न गैप को भी कम किया जा सके। इसमें अतिरिक्त पशुपालकों को चारों की लागत में कमी भी लायी जा सके। प्रश्नगत योजना से जब सूखे चारे का गैप कम हो तो प्रदेश के पशुओं को सम्पूर्ण रूप से खिलाई करके पालन पोषण में उत्पन्न हो रही कठिनाई से पशुपालकों को बचाया जा सकेगा।

### योजना का उद्देश्य:-

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पशुपालकों को अनुपयोगी चारों को उपयोग कर लिये जाने के उद्देश्य से हस्तचालित कुट्टी मशीन का वितरण कर सूखे चारों की लागत में कमी लाने तथा सूखे चारे के गैप को समाप्त किया जा सकें। इसके अन्तर्गत भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध है परन्तु वित्तीय स्वीकृति उ0प्र0 शासन से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना का उद्देश्य पूर्ण रूप से कर लिया जायेगा।

### 3- शक्तिचालित कुट्टी काटने की मशीन के वितरण की योजना (50 प्रतिशत के0पो0 50 प्रतिशत लाभार्थी अंश):-

इस योजना अन्तर्गत, प्रदेश के पशुपालकों 60 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान तथा 40 प्रतिशत लाभार्थी अंश के माध्यम से शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण किया जायेगा। इसके वितरण से सूखा चारा जो अनुपयोगी हो जाता है उसे कुट्टी काटकर उपयोगी बनाकर पशुओं को खिलाया जा सकेगा।

### योजना का उद्देश्य:-

प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पशुपालकों को शक्ति चालित कुट्टी काटने की मशीन का वितरण कर अनुपयोगी चारों को महीन कुट्टी बनाकर उपयोग में लाने के लिए प्रेरित किया जाना है। जिससे अनुपयोगी सूखे चारों का उपयोग हो सके।

### 11-प्रसार तथा प्रशिक्षण

#### पशुधन विकास कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

#### वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू0 में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय-व्यय अनुमान
	2016-17	2017-18
प्रसार तथा प्रशिक्षण		
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्यय अनुमान
	2017-18	2018-19
प्रसार तथा प्रशिक्षण		

### परिचयात्मक/उद्देश्य:-

प्रदेश में संचालित विभिन्न पशुपालन के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है इसका मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को नवीनतम तकनीकी को ग्राह्य करवाना तथा जन सामान्य को पशुधन प्रदातों की उपलब्धता बढ़ाना है। इसके साथ ही प्राचीन रूढ़ियों को समाप्त कर पशुपालन के विभिन्न आयामों को लाभप्रद दिशा प्रदान करना है।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न कार्यक्रम निर्धारित है :-

1. अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनी तथा अन्य पशुधन प्रदर्शनियों में भाग लेना।
2. मण्डल/जनपद स्तर की पशुधन प्रदर्शनियों, कॉफरैली, पशुपालन गोष्ठियों का आयोजन।
3. प्रचार-प्रसार, साहित्य का प्रकाशन, प्रेक्ष्य निर्माण एवं प्रदर्शन आदि।
4. गोष्ठी, पशुपालक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

कार्यक्रम	वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1-पशु प्रदर्शनियाँ एवं कॉफरैलियाँ	75	-	75	-	75			
2-पशुपालक गोष्ठियाँ	75	-	75	-	75			
3-पशुपालक प्रशिक्षण	-	-	-	-	-			
4-मण्डप निर्माण (राज्य स्तरीय)	2	-	2	-	2			
5 -साहित्य प्रकाशन	15	-	15	-	15			

## 12—प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी

### वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण

वित्तीय माँग

धनराशि लाख रू० में

लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय	आय—व्ययक अनुमान
	2016—17	2017—18
प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	275.16	286.86
लेखाशीर्षक	पुनरीक्षित अनुमान	आय—व्ययक अनुमान
	2017—18	2018—19
प्रशासनिक अन्वेषण तथा साँख्यिकी	476.28	3423.83

### परिचयात्मक / उद्देश्य:—

- 1— पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन एवं अनुश्रवण तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार पशुगणना कराना एवं आंकड़ों का विश्लेषण कर उपयोगी बनाना एवं रख-रखाव करना।
- 2— राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों की गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के प्रजनन आंकड़ों का विश्लेषण करना तथा राज्य में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान हेतु रखे गये सांडों के अभिलेख का रख-रखाव करना।
- 3— विभागीय योजनाओं से संबन्धित आकड़ों के त्वरित विश्लेषण हेतु कम्प्यूटर सेल की स्थापना।
- 4— वार्षिक सर्वेक्षण की जनपदवार योजना (भारत सरकार की 50 प्रतिशत आयोजनागत योजना) के अन्तर्गत पशुजन्य पदार्थों यथा—दूध, अण्डा, ऊन एवं माँस उत्पादन के अनुमानों को तैयार कर प्रकाशित कराना तथा पशुधन की प्रबन्ध प्रणालियों का अध्ययन करना।

### पद्धति:—

- 1— जनपदों से प्राप्त विभागीय आधारभूत आकड़े एवं विकास कार्यक्रमों की प्रगति के आकड़ों का जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय गणना करना तथा पशुगणना के आकड़ों का रख-रखाव किया जाता है।
- 2— राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर विद्यमान गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के जातिवार प्रजनन आंकड़ों को एकत्र कर विभिन्न आर्थिक गुणकों की गणना कर उनका विश्लेषण किया जाता है।

वार्षिक सर्वेक्षण योजना भारत सरकार की 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, जिसमें जनपदवार पशु जन्य पदार्थों के उत्पादन (यथा दुग्ध, अण्डा, ऊन एवं मांस) के अनुमानों को अनुमानित करना होता है। इनके त्वरित विश्लेषण हेतु तीसरी योजना का विकास किया गया था, परन्तु प्रोग्रामर की पदस्थापना न होने के कारण त्वरित अनुमान नहीं निकाले जा सके, बल्कि नियुक्त क्षेत्र स्टाफ से मैनुअली अनुमान निकाले जाते हैं, जिनका क्षेत्र से नियमित अनुश्रवण एवं विश्लेषण करने के कारण काफी समय लग जाता है। इस योजना में प्रत्येक ऋतु में पशुधन संख्या के अनुमानों हेतु 15 प्रतिशत ग्रामों का चयन किया जाता है तथा पशुजन्य पदार्थों के उत्पादन के जनपदवार अनुमानों की गणना तथा पशुओं की प्रबंध प्रणालियों के अध्ययन हेतु 5/10 ग्रामों का रेण्डम विधि से चयन कर क्षेत्रीय कार्य प्रदेश के जनपदों में पदस्थ सांख्यिकीय कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है तथा प्रदेश स्तर का आंकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान तैयार कर प्रकाशित कराये जाते हैं।

### वर्ष 2015—16 में किये जा रहे कार्य :-

- 1— विभागीय भौतिक लक्ष्य वर्ष 2016—17 का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया। आधार-भूत आंकड़ों का संकलन किया गया। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया गया।
- 2— नस्लवार गणना के आंकड़ों की कुछ जनपदों से पुष्टि कराकर भारत सरकार को भेजा गया, 20वीं पशुगणना की प्रारम्भिक तैयारी के क्रम में अनुसूचियों और अनुदेश पुस्तिका को तैयार किया गया।
- 3— वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराना तथा अनुमानों को अन्तिम रूप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2013—14 का प्रकाशन कराना।

4- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2014-15 का प्रतिवेदन तैयार करना तथा 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांडो के विवरण को अंकित करना।

**वर्ष 2016-17 में किये जाने वाले कार्य :-**

- 1- आधारभूत आकड़ों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। विभागीय प्रगति पुस्तिका वर्ष 2017 का प्रकाशन कराया जाना है। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जा रहा है।
- 2- 20वीं पशुगणना 2017 हेतु भारत सरकार से प्राप्त संशोधित अनुसूचियों एवं अनुदेश पुस्तिका को अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा (हिन्दी) में अनुवाद कर तैयार किया जा रहा है। क्षेत्रीय गणना हेतु गणनाकारों एवं सुपरवाइजरो को ग्रामों का आवंटन किया जा रहा है।
- 3- वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन अनुमानों को अंतिम रूप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2014-15 का प्रकाशन कराना।
- 4- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2015-16 का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांडों के विवरण की पुस्तिका तैयार की जायेगी।

**वर्ष 2017-18 में किये जाने वाले कार्य :-**

- 1- विभागीय प्रगति पुस्तिका को प्रकाशन तथा आधारभूत आकड़ों का संकलन एवं भौतिक लक्ष्य का जनपद/मण्डल/राज्य स्तरीय निर्धारण कर शासन एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा। चार चिन्हित कार्यक्रमों टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, चिकित्सा एवं बधियाकरण का अनुश्रवण किया जायेगा।
- 2- 20वीं पशुगणना 2017 हेतु अनुसूचियों एवं अनुदेश पुस्तिका को जनपदों को वितरण करवाना एवं वास्तविक क्षेत्रीय गणना कराकर डाटा इन्ट्री कर सेन्टरों को उपलब्ध कराना।
- 3- वार्षिक सर्वेक्षण योजनान्तर्गत जनपदों का क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा अनुमानों को अंतिम रूप देकर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराना तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन 2015-16 का प्रकाशन कराना।
- 4- राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों के वर्ष 2016-17 का प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा, तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कार्यरत सांडों के विवरण की पुस्तिका तैयार की जायेगी।

**13-अन्य व्यय**

**वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण**

**वित्तीय माँग**

(धनराशि लाख रू0 में)

	वास्तविक व्यय	आय-व्ययक अनुमान
लेखाशीर्षक	2016-17	2017-18
अन्य व्यय	3798.88	5021.96
	पुनरीक्षित अनुमान	आय-व्ययक अनुमान
लेखाशीर्षक	2017-18	2018-19
अन्य व्यय	5021.96	22401.42

## (अ) गौशाला विकास

पशुपालन विभागान्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर में गोसदनों एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत गौशालाओं के विकास एवं गोसेवा आयोग की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिपेक्ष्य में निम्नांकित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

<b>1- योजना का नाम :</b>	<b><u>उ0प्र0 गोसेवा आयोग द्वारा गोसदन/गौशालाओं के सुदृढीकरण एवं स्थापना की योजना (राज्य योजना)</u></b>
<b>योजना का उद्देश्य</b>	<p>इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित गोसदनों एवं गौशालाओं का सुदृढीकरण कर, उन पर संरक्षित एवं पकड़ कर लाये गये गोवंशीय पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाना है। गोसदनों में ऐसे पशुओं का संरक्षण करने के साथ ही उन्हें चरने हेतु चरागाह एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंशीय पशुओं को गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है प्रदेश में गोसदनों की स्थापना कई वर्षों पूर्व होने के कारण गौसदन भवन इत्यादि अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। इस प्रकार गौसदनों के सुदृढीकरण उनमें गोवंशीय पशुओं हेतु चरही नांद जल की व्यवस्था इत्यादि आवश्यक मूलभूत जरूरतों के दृष्टिगत धनराशि की आवश्यकता है। वर्ष 2017-18 हेतु रु0 669925.00 हजार का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष रु0 51600 हजार का प्राविधान किया गया है।</p>
<b>2-योजना का नाम:- अ)योजना का उद्देश्य</b>	<p><b><u>उ0प्र0 गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना</u></b></p> <p>प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्बर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने,गो-कल्याण संबंधी अधिनियमों, उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ0प्र0 गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्ध करते हुये इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुये गति प्रदान की जा रही है और इन्हें अर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने में पथ-प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत आयोग के कार्यालय के संचालन एवं कार्यकलापों के सुचारु संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है।</p> <p>उ0प्र0 गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अन्तर्गत मुख्यता: कार्यालय के संचालन आयोग के मा0 अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री, फार्मों की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयंत्रों का क्रम के साथ साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधाएँ हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु रु0 41.50 लाख का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में रु0 41.00 लाख के बजट का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष रु0 20.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है।</p>
<b>3-योजना का नाम :-</b>	<b><u>गौशालाओं का सुधार (जिला योजना)</u></b>
<b>योजना का उद्देश्य</b>	<p>प्रदेश में स्थापित गौशालाओं का सुधार एवं सुदृढीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पाले जा रहे पशुओं/गोवंश का संरक्षण-संवर्धन करने के साथ ही उन्हें उत्तम आहार-चारा, पेयजल की सुविधा तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना। साथ ही चूंकि सम्पूर्ण प्रदेश में गोवध निषेध संबंधी अधिनियम लागू है। अतः ऐसी स्थिति में अवैध परिवहन एवं वध हेतु ले जाते समय पकड़े गये गोवंश/पशुओं को भी गौशालाओं/गोसदनों पर रखकर उनके प्राणों की रक्षा की जाती है और</p>

## (ब) चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग

### परिचयात्मक/उद्देश्य :-

मृत पशुओं से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पूर्ण उपयोग करने की योजना चलाई जा रही है। प्रायः मृत पशुओं की खाल उतारकर शेष पशुशव को यों ही छोड़ दिया जाता है जिससे वातावरण प्रदूषण के साथ ही पशुशव से प्राप्त हो सकने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं तथा पशु शव पर मडराने वाले पक्षियों से वायुयान दुर्घटनाओं की सम्भावना रहती है। मुख्यतः पशु शव से प्राप्त हड्डी से उर्वरक खाद, मांस से पौष्टिक कुक्कुट आहार, पूँछ के बाल से ब्रश, तांत से रैकेट, सींग व खुर से कंधी व बटन, चर्बी से साबुन आदि तथा प्राप्त चमड़े से बहुमूल्य उपयोगी वस्तुएँ बनाई जाती हैं।

चूँकि किसी उद्योग के लिये कुशल कारीगरी की अहम भूमिका होती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पशुपालन विभाग उ०प्र० द्वारा चर्म से संबंधित प्रशिक्षण देने एवं चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के उद्देश्य से सन 1960 में आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ की स्थापना की गयी। इस केन्द्र पर निम्न प्रकार से प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य किये जाते हैं:-

### प्रशिक्षण कार्य:-

- 1- पशु शव उपयोग प्रशिक्षण
- 2- चर्म शोधन प्रशिक्षण
- 3- चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण

### 1- पशु शव उपयोग प्रशिक्षण

यह चार मासीय प्रशिक्षण है। इसमें प्रशिक्षणार्थियों को वैज्ञानिक ढंग से मृत पशुओं की खाल निकालने, खालों को सुरक्षित रखने, मीट कम-बोनमील बनाने तथा पशु शव के पूर्ण उपयोग करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू० 200/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

### 2- चर्म शोधन प्रशिक्षण

यह एक वर्षीय प्रशिक्षण है। इसमें खालों को रसायनों द्वारा वैज्ञानिक विधि से पकाकर चमड़ा तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू० 200/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

### 3- चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण,

यह भी एक वर्षीय प्रशिक्षण है। इसमें चमड़े का जूता, चप्पल, बेल्ट, लैडर बैग आदि के साथ-साथ चमड़े की अनेक उपयोगी वस्तुओं के बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें प्रत्येक बैच में 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रू० 200/-प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

### उत्पादन कार्य

**वर्ग 1- पशु शव उपयोग शाखा:-** इस शाखा में मृत पशुओं से निम्नलिखित सामग्री का उत्पादन किया जाता है :-

- 1-खाल      2-मीट कम बोन मील      3-चर्बी      4-पूँछ के बाल      5-सींग

**वर्ग 2- चर्म शोधन शाखा:-** इस शाखा द्वारा खालों को रसायनों द्वारा पकाकर निम्न प्रकार के चमड़े तैयार किये जाते हैं :-

- 1-क्रोम लेदर      2-सोल      3-इनसोल      4-कटिंग स्लीपर

**वर्ग 3- चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण शाखा:-**

इस शाखा द्वारा चमड़े की निम्नलिखित सामग्री का उत्पादन किया जाता है:-

- 1-जूता चप्पल      2-लेदर बैग      3-हैन्ड पर्स      4-बेल्ट      5-चमड़े की अन्य उपयोगी वस्तुएँ

प्रशिक्षण एवं उत्पादन की मद	वर्ष 2016-17 का वास्तविक	वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19 का अनुमान	अभ्युक्ति
		अनुमानित	पुनरीक्षित		
<b>वर्ग-1 पशु शव उपयोग शाखा</b>					
1- उपयोग किये गये पशुओं की संख्या	135	120	120	180	मृत जानवरों की आमद में अत्यधिक कमी, अगस्त 2015 से कुकरों की रिपेयरिंग/निरोपण न होने, कारण समस्त उत्पादित मीट सड़ गया तथा कर्मचारियों की कमी के कारण कार्य धीरे प्रभावित है। जबकि अभी तक कुकर का निरोपण नहीं हुआ है।
2- मीट कम बोन मील (कि०ग्रा०)	-	1500	1000	1000	
3- चर्बी (कि०ग्रा०)	-	50	30	50	
4- जानवरों के पूछ के बाल (कि०ग्रा०)	0.550	1.000	0.800	0.800	
5- जानवरों की सींग (जोड़ी में)	27	50	40	40	
प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या (4 मासीय)	14	30	24	30	
<b>चर्म शोधन शाखा</b>					
पशु शव शाख से प्राप्त अच्छी खालों से आमद फुटवीयर शाखा द्वारा मांग, संसाधनों का अभाव एवं मशीनों की स्थिति काफी जर्जर, खराब होना अन्तर का कारण स्पष्ट करते हैं।					
1-बनस्पति शोधित (सोल/इनसोल/अपर) (कि० ग्रा०)	12	40	-	40	
2- क्रोम अपर लेदर (वर्ग डेसी मी० में)	-	6500	-	6500	
<b>वर्ग -3 खालों का शोधन (अदद में)</b>					
क- रेगुलर हाइड एण्ड स्किन	105	504	-	504	
ख- शिकारी स्किन संख्या में	-	15	-	15	
<b>प्रशिक्षण</b>					
प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सं० (एक वर्षीय)	04	20	11	20	
<b>वर्ग -2 फुटवीयर संख्या (जोड़ी)</b>					
1- फुटवीयर संख्या (जोड़ी)	85	240	130	240	वर्ष 2017-18 के अनुमानित एवं पुनरीक्षित लक्ष्य के अन्तर का कारण वर्ग में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों की ड्यूटी बी०एल०ओ० में है तथा प्रशिक्षार्थियों की संख्या 20 के स्थान पर 10 तथा संसाधनों का जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था।
2- लेदर गुड्स (अदद)	200	200	200	200	
<b>प्रशिक्षण</b>					
प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की सं० (एक वर्षीय)	08	20	11	20	

### विभिन्न कार्यक्रमों के अर्न्तगत विभागीय प्राप्तियाँ

(धनराशि रु० हजार में)

	वास्तविक आंकड़े 2015-16	आय अनुमान 2016-17	पुनरीक्षित आय 2016-17	आय अनुमान 2017-17
103-मुर्गी पालन के विकास से प्राप्तियाँ				
01-कुक्कुट प्रक्षेत्रों से प्राप्तियाँ	7150	11004	11004	10000
104-भेड़ एवं उन विकास से प्राप्तियाँ	631	1251	1251	1300
105-सूकर विकास से प्राप्तियाँ	1247	6052	6052	5500
106-चारा दाना विकास से प्राप्तियाँ	14360	104533	104533	104500
108-अन्य पशुधन विकास प्राप्तियाँ	12236	33011	33011	30000



501-सेवाएँ और सेवा शुल्क	42242	99032	99032	99000
<b>800-अन्य प्राप्तियाँ</b>				
01-निदेशक के अधीन प्राप्तियाँ	21151	27294	27294	25000
02-अधिक भुगतान से वसूलियाँ	1747	1651	1651	2000
03-इमारतों का किराया	1083	495	495	1200
04-लोथ उपयोग केन्द्रों से आय	220	150	150	136
05-निदेशक पशुपालन के लिए नियंत्रण के अधीन दूध और दूध से बनायी अन्य वस्तुओं की बिक्री से आय	11600	49516	49516	46000
06-अभिजनन और गर्भित कराने की फीस और पशुओं की बिक्री से आय	58942	110035	110035	100000
07-अंशदान ब्याज सहित	—	61	61	54
99-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ	215036	55916	55916	230000
<b>900-घटाएँ वापसियाँ</b>				
01-वापसियाँ	-50	-1	-1	—
<b>योग 0403</b>	<b>387595</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>654690</b>

**विगत तीन वर्षों में स्वीकृत पदों की सूची**  
**लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2014)**

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रु०)	ग्रेड वेतन	01 अप्रैल 2014 को विद्यमान पदों की स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	
<b>अनुदान संख्या-15- लेखाशीर्षक-2403- पशुपालन -आयोजनेत्तर राजपत्रित</b>					
1	2	3	4	5	6
निदेशक	37400-67000	10000	01	-	
अपर निदेशक (ग्रेड-1)	37400-67000	8900	-	05	
वित्त नियंत्रक	37400-67000	8900	01	-	
अपर निदेशक (ग्रेड-2)	37400-67000	8700	03	17	
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	37400-67000	8700	01	-	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600-39100	7600	01	69	
संयुक्त निदेशक	15600-39100	7600	-	65	
संयुक्त निदेशक (सॉख्यिकी)	15600-39100	7600	01	-	
उप मुख्य पशु चि०अधि०/ उप निदेशक/अधीक्षक	15600-39100	6600	-	467	
उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)	15600-39100	6600	01	-	
प्रधानाचार्य बी०के०टी०, लखनऊ	15600-39100	6600	01	-	
उपनिदेशक (सॉख्यिकी)	15600-39100	6600	01	-	
पशुचिकित्साधिकारी	15600-39100	5400	1400	172	
सहायक निदेशक (प्रचार)	15600-39100	5400	01	-	
पशुधन विपणन अधि०/ प्रभारी अधि०ऊन श्रेणीकरण	15600-39100	5400	02	-	
प्रोग्रामर (इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	15600-39100	5400	-	01	
सॉख्यिकीय अधिकारी	15600-39100	5400	04	02	
वित्त एवं लेखा अधिकारी	15600-39100	5400	03	-	
प्रक्षेत्र प्रबंधक(कृषि संवर्ग)	15600-39100	5400	06	-	
कृषि अधिकारी	15600-39100	5400	-	01	
चारा विकास अधिकारी	15600-39100	5400	02	-	
सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	15600-39100	5400	01	-	
सहायक लेखाधिकारी	9300-34800	4800	16	02	
अपर सॉख्यिकीय अधि०	9300-34800	4600	54	-	
ऊन विपणन अधिकारी	9300-34800	4200	-	01	
ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	9300-34800	4200	01	-	
क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/ सहायक कुक्कुट विकास अधि०/ लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परि० अधि० कुक्कुट	9300-34800	4200	08	-	
लाइवस्टाक इन्टेलीजेन्ट्स इंस्पेक्टर	9300-34800	4200	01	-	
चर्म विकास अधिकारी	9300-34800	4200	01	-	
वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	01	-	
वरिष्ठ प्रशासनिक अधि० (अराजपत्रित)	9300-34800	4800	01	-	
योग			1513	802	

**लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनागत, राजपत्रित**

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रु०)	ग्रेड वेतन	01 अप्रैल 2014 को विद्यमान पदों की स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	
1	2	3	4	5	6
संयुक्त निदेशक रजिस्ट्रार वेटनरी काउन्सिल	15600-39100	7600	-	01	
संयुक्त निदेशक वेटनरी काउन्सिल	15600-39100	7600	-	01	
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	15600-39100	7600	-	03	
उपनिदेशक (सॉख्यकी)	15600-39100	6600	-	01	
पशुचिकित्सा अधिकारी	15600-39100	5400	-	399	
अपर सॉख्यकीय अधि०	9300-34800	4600	-	27	
क्षेत्रीय अधिकारी	9300-34800	4600	-	11	
वैयक्तिक सहायक	9300-34800	4200	-	01	
योग			-	444	
<b>कुल योग (आयोजनेत्तर+ आयोजनागत)</b>			<b>1513</b>	<b>1246</b>	

**लेखाशीर्षक-2403- पशुपालन -आयोजनेत्तर अराजपत्रित**

1	2	3	4	5	6
पशुधन प्रसार अधिकारी	5200-20200	2800	2300	833	
सहायक सांख्यकी अधिकारी	9300-34800	4200	80	41	49 पद मा०उच्च न्याया० के विचाराधीन है।
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	9300-34800	4200	1	-	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5200-20200	2800	5	-	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	5200-20200	2800	2	-	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	5200-20200	2800	4	-	
ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	5200-20200	2800	1	-	
एयर कंडिशनर आपरेटर	5200-20200	2800	1	-	
एल०एन० प्लांट मैकेनिक आपरेटर	5200-20200	2800	1	22	
रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	5200-20200	2800	9	-	
प्रचार निरीक्षक	5200-20200	2400	1	-	
प्रचार पर्यवेक्षक	5200-20200	2000	4	-	
कलाकार/ मानचित्रकार	9300-34800	4200	1	-	
सहायक प्रचार अधिकारी	9300-34800	4200	1	-	
इलेक्ट्रीशियन/ विद्युत यंत्रिक	5200-20200	2400	12	-	
प्रयोगशाला सहायक	5200-20200	2800	97	5	
कनिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	304	36	सीधी भर्ती का पद (अधिसंख्य 66 )
पेड अप्रेंटिस	-	-	-	6	रु० 350/- नियत प्रतिमाह
सह उर्दू अनुवादक	5200-20200	1900	-	30	सीधी भर्ती का पद
वरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	184	26	प्रोन्नति का पद
प्रधान सहायक	9300-34800	4200	58	6	प्रोन्नति का पद
प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	18	-	पदोन्नति का पद
सहायक लेखाधिकारी बी०के०टी० लखनऊ	9300-34800	4200	1	-	सीधी भर्ती का पद
लेखाकार	9300-34800	4200	3	-	सीधी भर्ती का पद

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रु०)	ग्रेड वेतन	01 अप्रैल 2014 को विद्यमान पदों की स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	
सहायक लेखाकार	5200-20200	2400	103	34	सीधी भर्ती का पद
कनिष्ठ सम्परीक्षक	5200-20200	2400	3	—	लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (01 कार्मिक वरिष्ठ सम्परीक्षक पद के सापेक्ष अधिसंख्य के रूप में कार्यरत)
वरिष्ठ सम्परीक्षक	9300-34800	4200	12	—	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक	5200-20200	2800	14	—	सीधी भर्ती का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9300-34800	4200	9	—	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	9300-34800	4600	4	—	प्रोन्नति का पद
वाहन चालक	5200-20200	1900	160	32	
सहायक कृषि अधिकारी	9300-34800	4200	1	—	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300-34800	4200	1	—	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	9300-34800	4200	8	—	
सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	9300-34800	4200	1	—	
वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	9300-34800	4200	1	—	
क्षेत्र अधीक्षक	9300-34800	4200	3	—	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	9300-34800	4200	1	—	
कृषि निरीक्षक	5200-20200	2800	3	—	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	5200-20200	2800	1	—	
प्रक्षेत्र सहायक	5200-20200	2800	6	—	
स्नातक सहायक	5200-20200	2800	1	—	
पशुशाला पर्यवेक्षक	5200-20200	2800	1	—	
डेरी प्रभारी	5200-20200	2800	3	—	
डेरी एवं पशु प्रभारी	5200-20200	2800	1	—	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	5200-20200	2800	1	—	
सहायक प्रचार अधिकारी	5200-20200	2800	1	—	
संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	5200-20200	2800	1	—	
चारा निरीक्षक	5200-20200	2800	10	—	
संवर्धन( कल्टीवेशन) ओवरशियर	5200-20200	2400	8	—	
संवर्धन( कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	9	—	
सहायक कृषि निरीक्षक	5200-20200	2400	4	—	
सहायक संवर्धन (कल्टीवेशन) प्रभारी	5200-20200	2400	2	—	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	1	—	
डेरी सहायक	5200-20200	2400	4	—	
पशु प्रभारी	5200-20200	2400	1	—	
सहायक डेरी प्रभारी	5200-20200	2400	1	—	
डेरी पर्यवेक्षक	5200-20200	2400	1	—	
चारा निरीक्षक	5200-20200	2400	2	—	03 पद अधिसंख्य
विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	5200-20200	2800	7	—	
पशुधन विपणन निरीक्षक	9300-34800	4200	1	—	प्रोन्नति का पद
ऊन विपणन निरीक्षक	9300-34800	4200	1	—	प्रोन्नति का पद
बिन निरीक्षक	9300-34800	4200	2	—	प्रोन्नति का पद

पदनाम	अन्तिम चिन्हित वेतनमान(रु०)	ग्रेड वेतन	01 अप्रैल 2014 को की स्थिति		अभ्युक्ति
			स्थायी	अस्थायी	
भण्डार कम बिन निरीक्षक	9300-34800	4200	1	—	प्रोन्नति का पद
भण्डार पर्यवेक्षक	9300-34800	4200	1	—	प्रोन्नति का पद
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	9300-34800	4200	—	49	प्रोन्नति का पद
वेटनरी फार्मासिस्ट	5200-20200	2800	1078	910	
फोरमैन मैकेनिक	9300-34800	4200	2	—	
ट्रैक्टर मैकेनिक	5200-20200	2800	9	—	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200-20200	1900	51	—	
फार्म मैकेनिक	5200-20200	1800	2	—	
पशुशाला मिस्त्री	5200-20200	1800	1	—	
चिक सेक्सर	5200-20200	2400	1	—	
ज्येष्ठ कुक्कूट निरीक्षक	9300-34800	4200	12	—	
अवर अभियन्ता	9300-34800	4200	1	—	
मैकेनिक	5200-20200	2400	1	—	
ट्रैक्टर आपरेटर	5200-20200	2400	1	—	
डिजायनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कम चालक	5200-20200	2800	9	—	
मैकेनिक कम प्लॉण्ट आपरेटर	5200-20200	1900	1	—	
व्यायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	5200-20200	1900	1	—	
गट मास्टर/मास्टर फ्लेयर	5200-20200	1800	2	—	
अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	5200-20200	1800	10	—	
मशीन क्लीनर/ट्रैक्टर क्लीनर/माली	5200-20200	1800	4	—	
चर्म निरीक्षक	5200-20200	2800	6	—	
ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	9300-34800	4200	1	1	
प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5200-20200	2800	5	—	
गोसदन मैनेजर	5200-20200	2800	4	—	
ड्रेसर	5200-20200	1800	149	146	
चपरासी/अर्दली/परिचर/ चौकीदार/दफ्तरी/स्वीपर	5200-20200	1800	4981	1729	74 पद अधिसंख्य कार्यरत
<b>योग</b>			<b>9816</b>	<b>3906</b>	
<b>योग राजपत्रित</b>			<b>1513</b>	<b>1246</b>	
<b>योग अराजपत्रित</b>			<b>9816</b>	<b>3906</b>	

नोट:- अधिसंख्य पद अस्थायी पदों के कुलयोग में सम्मिलित कर दर्शाया गया है।

#### लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन आयोजनागत अराजपत्रित

1	2	3	4	5	6
संख्या सहायक	9300-34800	4200	—	7	
क्षेत्रीय निरीक्षक	9300-34800	4200	—	6	
अन्वेषक कम संगणक	9300-34800	4200	—	45	
आशुलिपिक	9300-34800	4200	—	3	
अन्वेषक कम संगणक	(नियत वेतन रु० 10000)		—	45	
लेखाकार	9300-34800	4200	—	1	
कनिष्ठ सहायक	5200-20200	1900	—	1	
चालक	5200-20200	1900	—	1	
अर्दली	5200-20200	1800	—	1	
चतुर्थ श्रेणी	5200-20200	1800	—	2	
<b>योग</b>				<b>112</b>	

- नोट :- 45 पदों के सापेक्ष 29 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति। शासन द्वारा नियुक्तियां निरस्त। मा० न्यायालय के आदेश से कार्यरत।

**विगत तीन वर्षों में स्वीकृत पदों की सूची**  
**लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2015)**

क्र०सं०	विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम	दि० 01-04-2015 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान		
		स्थायी	अस्थायी				वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू०	सादृश्य ग्रेड वेतन रू०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अनुदान सं०-15- लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन- आयोजनेत्तर राजपत्रित</b>									
1	निदेशक, प्रशासन एवं विकास	1	-	1	1	-	वेतन बैण्ड-04	37400-67000	10000
2	निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र	-	1	1	-	1	वेतन बैण्ड-04	37400-67000	10000
3	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	-	1	1	-	वेतन बैण्ड-04	37400-67000	10000
4	अपर निदेशक ग्रेड-1	-	4	4	-	4	वेतन बैण्ड-04	37400-67000	8900
5	वित्त नियंत्रक	1	-	1	-	1	वेतन बैण्ड-04	37400-67000	8900
6	अपर निदेशक ग्रेड-2	3	17	20	-	20	वेतन बैण्ड-04	37400-67000	8700
7	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	1	69	70	69	1	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	7600
8	संयुक्त निदेशक	-	65	65	17	48	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	7600
9	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकीय)	1	-	1	-	1	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	7600
10	उपमुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ उपनिदेशक/अधीक्षक	-	467	467	411	56	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	6600
11	उपनिदेशक (प्रक्षेत्र)	1	-	1	-	1	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	6600
12	प्रधानाचार्य, बी०के०टी०, लखनऊ	1	-	1	-	1	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	6600
13	उपनिदेशक (सांख्यिकीय)	1	-	1	-	1	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	6600
14	पशु चिकित्साधिकारी	1400	379	1779	1496	283	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	5400
15	सहायक निदेशक (प्रचार)	1	-	1	1	-	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	5400
17	प्रोग्रामर (इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग संवर्ग)	1	-	1	-	1	वेतन बैण्ड-03	15600-39100	5400
<b>क्र०सं०</b>	<b>विभिन्न संवर्ग के पदों</b>	<b>दि० 01-04-2015</b>		<b>कुल</b>	<b>कुल भरे</b>	<b>कुल</b>	<b>अन्तिम विहित वेतनमान</b>		

	के पदनाम	को विद्यमान स्वीकृत पद		स्वीकृत पद	पद	रिक्त पद			
		स्थायी	अस्थायी				वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान रू0	सादृश्य ग्रेड वेतन रू0
18	सांख्यिकीय अधिकारी	4	2	6	-	6	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
19	वित्त एवं लेखाधिकारी	3	-	3	2	1	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
20	प्रक्षेत्र प्रबंधक (कृषि संवर्ग)	6	-	6	1	5	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
21	कृषि अधिकारी	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
22	चारा विकास अधिकारी	2	-	2	-	2	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
23	सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	-	1	1	-	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
24	सहायक लेखाधिकारी	16	2	18	3	15	वेतन बैंड-02	15600-39100	4800
25	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	-	1	1	-	वेतन बैंड-02	15600-39100	4800
26	ऊन विपणन अधिकारी	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-02	15600-39100	4600
27	ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	1	-	1	1	-	वेतन बैंड-02	15600-39100	4600
28	लाइव स्टाक इन्टेलीजेंस इन्सपेक्टर	1	-	1	1	-	वेतन बैंड-02	15600-39100	4600
29	क्षेत्र प्रबंधक (कुक्कुट)/ सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी/लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण/ सहायक परियोजना अधिकारी (कुक्कुट)	8	-	8	-	8	वेतन बैंड-02	15600-39100	4600
30	चर्म विकास अधिकारी	1	-	1	-	1	वेतन बैंड-02	15600-39100	4600
31	वैयक्तिक सहायक	1	-	1	-	1	वेतन बैंड-02	15600-39100	4200
	<b>योग-</b>	<b>1459</b>	<b>1008</b>	<b>2467</b>	<b>2007</b>	<b>460</b>			

**लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनेत्तर, राजपत्रित (01.04.2015)**

क्र०सं 0	विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम	दि० 01-04-2015 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान		
		स्थायी	अस्थायी				वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैंड/वेतनमान रु०	सादृश्य ग्रेड वेतन रु०
1	अपर निदेशक ग्रेड-2	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-04	37400-67000	8700
2	संयुक्त निदेशक, रजिस्ट्रार वेटनरी कौंसिल	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-03	37400-67000	7600
3	संयुक्त निदेशक, वेटनरी कौंसिल	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-03	37400-67000	7600
4	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	-	3	3	-	3	वेतन बैंड-03	37400-67000	7600
5	उपनिदेशक (सांख्यिकीय)	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-03	37400-67000	6600
6	पशुचिकित्साधिकारी	-	203	203	76	127	वेतन बैंड-03	15600-39100	5400
7	वैयक्तिक सहायक	-	1	1	-	1	वेतन बैंड-02	15600-39100	4200
	<b>योग</b>	-	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>76</b>	<b>135</b>			
	<b>कुल योग (आयोजनेत्तर + आयोजनागत)</b>	<b>1459</b>	<b>1219</b>	<b>2678</b>	<b>2083</b>	<b>595</b>			



**लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनेत्तर अराजपत्रित**

पदनाम	दि० 01-04-2015 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान			
	स्थायी	अस्थायी				वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान रु०	सादृश्य ग्रेड वेतन रु०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पशुधन प्रसार अधिकारी	2840	286	3126	1765	1361	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	117	-	117	17	100	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
अपर सांख्यिकीय अधिकारी	66	-	66	66	-	पी०बी०-2	9300-34800	4600	
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	-	1	2	-	पी०बी०-2	9300-34800	4200	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	-	5	7	-	पी०बी०-1	5200-20200	2800	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	-	2	3	-	पी०बी०-1	5200-20200	2800	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	-	4	1	3	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	1	-	1	-	1	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
एयर कंडिशनर आपरेटर	1	-	1	1	-	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
एल०एन० प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	19	4	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	-	9	8	1	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
प्रचार निरीक्षक	1	-	1	-	1	पी०बी०-1	5200-20200	2400	
प्रचार पर्यवेक्षक	4	-	4	3	1	पी०बी०-1	5200-20200	2000	
कलाकार	1	-	1	-	1	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
सहायक प्रचार अधिकारी	1	-	1	1	-	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यंत्रिक	12	-	12	7	5	पी०बी०-1	5200-20200	2400	
प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	54	48	पी०बी०-1	5200-20200	2800	
कनिष्ठ सहायक	304	39	343	386	-	पी०बी०-1	5200-20200	2000	सीधी भर्ती का पद (अधिसंख्य 43 )
पेड अप्रेंटिस	-	6	6	-	6	-	-	-	
सह उर्दू अनुवादक	-	30	30	29	1	पी०बी०-1	5200-20200	1900	सीधी भर्ती का पद
वरिष्ठ सहायक	184	29	213	191	22	पी०बी०-1	5200-20200	2800	प्रोन्नति का पद
प्रधान सहायक	58	6	64	58	6	पी०बी०-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
प्रशासनिक अधिकारी	18	-	18	18	-	पी०बी०-2	9300-34800	4600	पदोन्नति का पद
सहायक लेखाधिकारी बी०के०टी० लखनऊ	1	-	1	-	1	पी०बी०-2	9300-34800	4200	सीधी भर्ती का पद
लेखाकार	105	-	105	-	105	पी०बी०-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
सहायक लेखाकार	35	-	35	35	-	पी०बी०-1	5200-20200	2800	सीधी भर्ती का पद
कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	-	3	4	-	पी०बी०-1	5200-20200	2400	लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा (01 कार्मिक वरिष्ठ सम्परीक्षक पद के सापेक्ष अधिसंख्य के रूप में कार्यरत)
वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	-	12	7	5	पी०बी०-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक	14	-	14	6	8	पी०बी०-1	5200-20200	2800	सीधी भर्ती का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9	-	9	7	2	पी०बी०-1	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	4	-	4	2	2	पी०बी०-2	9300-34800	4600	प्रोन्नति का पद
वाहन चालक	160	32	192	119	73	पी०बी०-1	5200-20200	1900	
सहायक कृषि अधिकारी	1	-	1	-	1	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	-	1	1	-	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	-	8	7	1	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	-	1	-	1	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	-	1	1	-	पी०बी०-2	9300-34800	4200	
क्षेत्र अधीक्षक	3	-	3	2	1	पी०बी०-2	9300-34800	4200	

पदनाम	दि0 01-04-20 15 को विद्यमान स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान		पदनाम	दि0 01-04-15 को विद्यमान स्वीकृत पद	
	स्थायी	अस्थायी					वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान रु0	सादृश्य ग्रेड वेतन रु0
प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	—	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
कृषि निरीक्षक	3	—	3	3	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
प्रक्षेत्र सहायक	6	—	6	6	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
स्नातक सहायक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
पशुशाला पर्यवेक्षक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
डेरी प्रभारी	3	—	3	3	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
डेरी एवं पशु प्रभारी	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
सहायक प्रचार अधिकारी	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
चारा निरीक्षक	10	—	10	10	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
संवर्धन( कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	—	8	8	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
संवर्धन( कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	—	9	9	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
सहायक कृषि निरीक्षक	4	—	4	4	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
सहायक संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	2	—	2	2	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
डेरी सहायक	4	—	4	4	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
पशु प्रभारी	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
सहायक डेरी प्रभारी	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
डेरी पर्यवेक्षक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
चारा निरीक्षक	2	—	2	5	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	03 पद अधिसंख्य
विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	—	7	5	2	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
पशुधन विपणन निरीक्षक	1	—	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
ऊन विपणन निरीक्षक	1	—	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
बिन निरीक्षक	2	—	2	—	2	पी0बी0-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	—	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
भण्डार पर्यवेक्षक	1	—	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	—	49	49	—	49	पी0बी0-2	9300-34800	4200	प्रोन्नति का पद
वेटनरी फार्मासिस्ट	1741	237	1978	1306	672	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
फोरमैन मैकेनिक	2	—	2	—	2	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
ट्रेक्टर मैकेनिक	9	—	9	8	1	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
ट्रेक्टर आपरेटर	51	—	51	50	1	पी0बी0-1	5200-20200	1900	
फार्म मैकेनिक	2	—	2	—	2	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
पशुशाला मिस्त्री	1	—	1	—	1	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
चिक सेक्सर	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	12	—	12	—	12	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
अवर अभियन्ता	1	—	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
मैकेनिक	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
ट्रेक्टर आपरेटर	1	—	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	2400	
मैकेनिक कम प्लॉण्ट आपरेटर	1	—	1	—	1	पी0बी0-1	5200-20200	1900	
व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	—	1	—	1	पी0बी0-1	5200-20200	1900	
गट मास्टर/मास्टर प्लेयर	2	—	2	1	1	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	10	—	10	8	2	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
मशीन क्लीनर/ट्रेक्टर क्लीनर/माली	4	—	4	1	3	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
चर्म निरीक्षक	6	—	6	6	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	

पदनाम	दि0 01-04-2 015 को विद्यमान स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	अन्तिम विहित वेतनमान		पदनाम	दि0 01-04-2 015 को विद्यमान स्वीकृत पद	
	स्थायी	अस्थायी					वेतन बैण्ड/ वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/ वेतनमान रु0	सादृश्य ग्रेड वेतन रू0
ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	—	2	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	—	5	—	5	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
गोसदन मैनेजर	4	—	4	4	—	पी0बी0-1	5200-20200	2800	
ड्रेसर	149	146	295	239	56	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
चपरासी/अर्दली/परिचर/ चौकीदार/दफ्तरी/स्वीपर	4981	1729	6710	4825	1885	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
<b>योग</b>	<b>11156</b>	<b>2617</b>	<b>13773</b>	<b>9357</b>	<b>4467</b>				

**लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत अराजपत्रित**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अपर सांख्यिकीय अधिकारी		15	15	15	—	पी0बी0-2	9300-34800	4600	पदोन्नति का पद
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	—	7	7	6	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	सीधी भर्ती का पद
अन्वेषक कम संगणक	—	25	25	25	—	नियत वेतन	रू0 10000/-	—	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यरत
आशुलिपिक	—	3	3	3	—	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
लेखाकार	—	1	1	—	1	पी0बी0-2	9300-34800	4200	
कनिष्ठ सहायक	—	1	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	1900	
चालक	—	1	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	1900	
अर्दली	—	1	1	1	—	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
चतुर्थ श्रेणी	—	2	2	2	—	पी0बी0-1	5200-20200	1800	
<b>योग</b>	<b>—</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>2</b>				

नोट-

1. 45 पदों के सापेक्ष 29 पदों की निरन्तरता की स्वीकृति। शासन द्वारा नियुक्तियां निरस्त।
2. मा0 न्यायालय के आदेश से कार्यरत।

**अनुभाग का नाम-स्थापना अनुभाग-2**  
**दिनांक 01.04.2017 के अनुसार।**

विभिन्न वर्गों के पदों के पदनाम	01.04.17 को विद्यमान स्वीकृत पद		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7वें वेतन आयोग के अनुसार		समूह (क, ख, ग अथवा घ)	अभ्युक्ति
	स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अनुदान संख्या-15 मुख्य लेखा शीर्षक-2403 पशुपालन-आयोजनेत्तर									
<b>अराजपत्रित</b>									
पशुधन प्रसार अधिकारी	2840	277	311 7	2621	496	29200-92300	5	ग	
सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	121	0	121	23	98	35400-112400	6	ग	
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	0	1	2	0	35400-112400	6	ग	01 पद अधिसंख्य
डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	0	5	7	0	29200-92300	5	ग	02 पद अधिसंख्य
पुस्तकालयाध्यक्ष	2	0	2	3	0	29200-92300	5	ग	01 पद अधिसंख्य
केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	0	4	1	3	29200-92300	5	ग	
ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	1	0	1	0	1	29200-92300	5	ग	
एयर कंडिशनर आपरेटर	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	19	4	29200-92300	5	ग	
रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200-92300	5	ग	
प्रचार निरीक्षक	1	0	1	0	1	25500-81100	4	ग	
प्रचार पर्यवेक्षक	4	0	4	3	1	21700-69100	3	ग	
क्लाकार	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	
सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	35400-112400	6	ग	
इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यंत्रिक	12	0	12	7	5	25500-81100	4	ग	
प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	54	48	29200-92300	5	ग	
कनिष्ठ सहायक	304	39	343	386	0	21700-6100	3	ग	सीधी भर्ती का पद(अधिसंख्य 43)
पेड अप्रेंटिस	0	6	6	0	6	00	00	ग	
सह उर्दू अनुवादक	0	30	30	29	1	19900-63200	2	ग	सीधी भर्ती का पद
वरिष्ठ सहायक	184	29	213	191	22	29200-92300	5	ग	प्रोन्नति का पद
प्रधान सहायक	58	6	64	58	6	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
लेखाकार	105	0	105	0	105	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
सहायक लेखाकार	35	0	35	35	0	29200-92300	5	ग	सीधी भर्ती का पद
कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	0	3	4	0	25500-81100	4	ग	01 पद अधिसंख्य
वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	0	12	7	5	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक	14	0	14	6	8	29200-92300	5	ग	सीधी भर्ती का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9	0	9	7	2	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	4	0	4	2	2	44900-142400	7	ग	प्रोन्नति का पद
वाहन चालक	160	35	195	161	34	19900-63200	2	ग	
सहायक कृषि अधिकारी	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400-112400	6	ग	
ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	0	8	7	1	35400-112400	6	ग	
सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	
वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400-112400	6	ग	
क्षेत्र अधीक्षक	3	0	3	2	1	35400-112400	6	ग	
प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	
कृषि निरीक्षक	3	0	3	3	0	29200-92300	5	ग	
सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
प्रक्षेत्र सहायक	6	0	6	6	0	29200-92300	5	ग	
स्नातक सहायक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
पशुशाला पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	

डेरी प्रभारी	3	0	3	3	0	29200-92300	5	ग	
डेरी एवं पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग	
चारा निरीक्षक	10	0	10	10	0	29200-92300	5	ग	
संवर्धन( कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	0	8	8	0	25500-81100	4	ग	
संवर्धन( कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	0	9	9	0	25500-81100	4	ग	
सहायक कृषि निरीक्षक	4	0	4	4	0	25500-81100	4	ग	
सहायक संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	2	0	2	2	0	25500-81100	4	ग	
सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
डेरी सहायक	4	0	4	4	0	25500-81100	4	ग	
पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
सहायक डेरी प्रभारी	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
डेरी पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
चारा निरीक्षक	2	0	2	2	0	25500-81100	4	ग	
विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	0	7	5	2	29200-92300	5	ग	
पशुधन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
ऊन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
बिन निरीक्षक	2	0	2	0	2	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
भण्डार पर्यवेक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	प्रोन्नति का पद
चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	49	0	49	0	49	44900-142400	7	ग	प्रोन्नति का पद
वेटनरी फार्मासिस्ट	1750	232	198 2	1205	777	29200-92300	5	ग	
फोरमैन मैकेनिक	2	0	2	0	2	35400-112400	6	ग	
ट्रैक्टर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200-92300	5	ग	
ट्रैक्टर आपरेटर	56	0	56	53	3	19900-63200	2	ग	
फार्म मैकेनिक	2	0	2	0	2	18000-56900	1	घ	
पशुशाला मिस्त्री	1	0	1	0	1	18000-56900	1	घ	
चिक सेक्सर	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
ज्येष्ठ कूककुट निरीक्षक	12	0	12	0	12	35400-112400	6	ग	
अवर अभियन्ता	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	
मैकेनिक	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
ट्रैक्टर आपरेटर,बी0के0टी0	1	0	1	0	1	25500-81100	4	ग	
डिजायनर कम क्लीनर/ वाटनर कम फिनीशर/ प्राविधिक सहायक कम चालक	9	0	9	9	0	29200-92300	5	ग	
मैकेनिक कम प्लॉन्ट आपरेटर	1	0	1	0	1	19900-63200	2	ग	
व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	0	1	0	1	19900-63200	2	ग	
गट मास्टर/मास्टर फ्लेयर	2	0	2	1	1	18000-56900	1	घ	
अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	10	0	10	8	2	18000-56900	1	घ	
मशीन क्लीनर/ट्रैक्टर क्लीनर / माली	4	0	4	1	3	18000-56900	1	घ	
चर्म निरीक्षक	6	0	6	6	0	29200-92300	5	ग	
ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	0	2	35400-112400	6	ग	
प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	0	5	0	5	29200-92300	5	ग	
गोसदन मैनेजर	4	0	4	4	0	29200-92300	5	ग	
ड्रेसर	150	146	296	239	57	18000-56900	1	घ	
चपरासी/अर्दली/परिचर/ चौकीदार/दफ्तरी/ स्वीपर	5116	1729	684 5	4573	2272	18000-56900	1	घ	
<b>योग</b>	<b>11274</b>	<b>2557</b>	<b>138 31</b>	<b>9823</b>	<b>4056</b>				

प्रारूप-2			
वेतनमान के अनुसार पदों का विवरण			
क्रम संख्या	सादृश्य वेतनमान	सादृश्य मैट्रिक्स लेवल	पद संख्या
1	2	3	4
1	44900—142400	7	53
2	35400—112400	6	353
3	29200—92300	5	5577
4	25500—81100	4	52
5	21700—69100	3	347
6	19900—63200	2	283
7	18000—56900	1	7159
	<b>योग</b>		<b>13824</b>

प्रारूप-3		
समूहवार पदों का विवरण		
क्रम संख्या	समूह	कुल पद संख्या
1	2	3
1	समूह ग	6665
2	समूह घ	7159
	<b>योग</b>	<b>13824</b>

प्रारूप-1

अनुभाग का नाम- पशुधन दिनांक01-4-2017 के अनुसार

क्र० सं०	विभिन्न संवर्ग के पदों के पदनाम राजपत्रित	दि० 1.4.17 को विद्यमान स्वीकृत		कुल स्वीकृत पद	कुल भरे पद	कुल रिक्त पद	7 वें वेतन आयोग के अनुसार			अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी				सादृश्य वेतन बैंड / वेतनमान रू०	सादृश्य मैट्रिक्स लेबल	समूह (क, ख, ग अथवा घ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	निदेशक प्रशासन एवं विकास	1	0	1	1	0	37400-6700	14	क	
2	निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र	0	1	1	1	0	37400-6700	14	क	
3	संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	1	0	1	1	0	37400-6700	14	क	
4	अपर निदेशक ग्रेड-1	0	4	4	0	4	37400-6700	13क	क	
5	वित्त नियंत्रक	1	0	1	1	0	37400-6700	13क	क	
6	अपर निदेशक ग्रेड-2	3	18	21	12	9	37400-6700	13	क	
7	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	1	74	75	61	14	15600-3910 0	12	क	
8	संयुक्त निदेशक	0	67	67	58	9	15600-3910 0	12	क	
9	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकीय)	1	0	1	0	1	15600-3910 0	12	क	
10	उप मुख्य पशु चिकित्सा अधि० / उप निदेशक / अधीक्षक	0	467	467	412	55	15600-3910 0	11	क	
11	उप निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	0	1	15600-3910 0	11	क	
12	प्रधानाचार्य, बी०के०टी०, लखनऊ	1	0	1	0	1	15600-3910 0	11	क	
13	उप निदेशक (सांख्यिकीय)	1	1	2	0	2	15600-3910 0	11	क	
14	पशु चिकित्साधिकारी	1400	584	1984	1733	251	15600-3910 0	10	ख	
15	सहायक निदेशक (प्रचार)	1	0	1	0	1	15600-3910 0	10	ख	
16	पशुधन विपणन अधिकारी	1	0	1	1	0	15600-3910 0	10	ख	
17	सांख्यिकीय अधिकारी	4	2	6	0	6	15600-3910 0	10	ख	
18	वित्त एवं लेखाधिकारी	3	0	3	3	0	15600-3910 0	10	ख	
19	प्रक्षेत्र प्रबंधक (कृषि संवर्ग)	6	0	6	2	4	15600-3910 0	10	ख	
20	कृषि अधिकारी	0	1	1	0	1	15600-3910 0	10	ख	
21	चारा विकास अधिकारी	2	0	2	1	1	15600-3910 0	10	ख	
22	सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र)	1	0	1	1	0	15600-3910 0	10	ख	
23	सहायक लेखाधिकारी	16	2	18	3	15	9300-34800	8	ख	
24	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	1	0	9300-34800	8	ख	
25	ऊन विपणन अधिकारी	0	1	1	0	1	9300-34800	7	ख	
26	ऊन श्रेणीकरण पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	9300-34800	7	ख	
27	लाइव स्टॉक इन्टेलीजेंस इन्सपेक्टर	1	0	1	1	0	9300-34800	7	ख	
28	क्षेत्र प्रबंधक (कुकुट) / सहा० कुकुकुट विकास अधि० / लेक्चरर त्रैमासिक प्रशिक्षण / सहायक परियोजना अधिकारी (कुकुट)	8	0	8	0	8	9300-34800	7	ख	

29	चर्म विकास अधिकारी	1	0	1	0	1	9300-34800	7	ख
30	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	81	0	81	81	0	9300-34800	7	ख
31	प्रशासनिक अधिकारी	12	0	12	12	0	9300-34801	7	ख
	<b>योग राजपत्रित :-</b>	<b>1550</b>	<b>1222</b>	<b>2772</b>	<b>2387</b>	<b>385</b>			

**अराजपत्रित**

1	पशुधन प्रसार अधिकारी	2840	277	3117	2621	496	29200-92300	5	ग
2	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	121	0	121	23	98	35400-112400	6	ग
3	कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	1	0	1	2	0	35400-112400	6	ग
4	डाटा इन्ट्री मशीन आपरेटर	5	0	5	7	0	29200-92300	5	ग
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	2	0	2	3	0	29200-92300	5	ग
6	केयर टेकर(अवर अभियन्ता)	4	0	4	1	3	29200-92300	5	ग
7	ड्राफ्टमैन (मानचित्रकार)	1	0	1	0	1	29200-92300	5	ग
8	एयर कंडिशनर आपरेटर	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
9	एल0एन0 प्लांट मैकेनिक आपरेटर	1	22	23	19	4	29200-92300	5	ग
10	रेफ्रिजरेटर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200-92300	5	ग
11	प्रचार निरीक्षक	1	0	1	0	1	25500-81100	4	ग
12	प्रचार पर्यवेक्षक	4	0	4	3	1	21700-69100	3	ग
13	क्लाकार	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
14	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	35400-112400	6	ग
15	इलेक्ट्रीशियन/विद्युत यंत्रिक	12	0	12	7	5	25500-81100	4	ग
16	प्रयोगशाला सहायक	97	5	102	54	48	29200-92300	5	ग
17	कनिष्ठ सहायक	304	39	343	386	0	21700-6100	3	ग
18	पेड अप्रेंटिस	0	6	6	0	6	0	0	ग
19	सह उर्दू अनुवादक	0	30	30	29	1	19900-63200	2	ग
20	वरिष्ठ सहायक	184	29	213	191	22	29200-92300	5	ग
21	प्रधान सहायक	58	6	64	58	6	35400-112400	6	ग
22	लेखाकार	105	0	105	0	105	35400-112400	6	ग
23	सहायक लेखाकार	35	0	35	35	0	29200-92300	5	ग
24	कनिष्ठ सम्परीक्षक	3	0	3	4	0	25500-81100	4	ग
25	वरिष्ठ सम्परीक्षक	12	0	12	7	5	35400-112400	6	ग
26	आशुलिपिक	14	0	14	6	8	29200-92300	5	ग
27	आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2	9	0	9	7	2	35400-112400	6	ग
28	आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1	4	0	4	2	2	44900-142400	7	ग
29	वाहन चालक	160	35	195	161	34	19900-63200	2	ग
30	सहायक कृषि अधिकारी	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग



31	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	1	0	35400-112400	6	ग
32	ज्येष्ठ चारा निरीक्षक	8	0	8	7	1	35400-112400	6	ग
33	सहायक दुग्धशाला प्रबंधक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
34	वरिष्ठ कृषि निरीक्षक	1	0	1	1	0	35400-112400	6	ग
35	क्षेत्र अधीक्षक	3	0	3	2	1	35400-112400	6	ग
36	प्राविधिक सहायक (कृषि)	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
37	कृषि निरीक्षक	3	0	3	3	0	29200-92300	5	ग
38	सहायक क्षेत्र प्रबंधक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
39	प्रक्षेत्र सहायक	6	0	6	6	0	29200-92300	5	ग
40	स्नातक सहायक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
41	पशुशाला पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
42	डेरी प्रभारी	3	0	3	3	0	29200-92300	5	ग
43	डेरी एवं पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
44	सहायक प्रक्षेत्र अधीक्षक	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
45	सहायक प्रचार अधिकारी	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
46	संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	1	0	1	1	0	29200-92300	5	ग
47	चारा निरीक्षक	10	0	10	10	0	29200-92300	5	ग
48	संवर्धन( कल्टीवेशन) ओवरशियर	8	0	8	8	0	25500-81100	4	ग
49	संवर्धन( कल्टीवेशन) पर्यवेक्षक	9	0	9	9	0	25500-81100	4	ग
50	सहायक कृषि निरीक्षक	4	0	4	4	0	25500-81100	4	ग
51	सहायक संवर्धन( कल्टीवेशन) प्रभारी	2	0	2	2	0	25500-81100	4	ग
52	सहायक प्रक्षेत्र पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग
53	डेरी सहायक	4	0	4	4	0	25500-81100	4	ग
54	पशु प्रभारी	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग
55	सहायक डेरी प्रभारी	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग
56	डेरी पर्यवेक्षक	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग
57	चारा निरीक्षक	2	0	2	2	0	25500-81100	4	ग
58	विपणन निरीक्षक एवं नीलाम आयोजक	7	0	7	5	2	29200-92300	5	ग
59	पशुधन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
60	ऊन विपणन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
61	बिन निरीक्षक	2	0	2	0	2	35400-112400	6	ग
62	भण्डार कम बिन निरीक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
63	भण्डार पर्यवेक्षक	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग
64	चीफ वेटनरी फार्मासिस्ट	49	0	49	0	49	44900-142400	7	ग
65	वेटनरी फार्मासिस्ट	1750	232	1982	1205	777	29200-92300	5	ग
66	फोरमैन मैकेनिक	2	0	2	0	2	35400-112400	6	ग

67	ट्रेक्टर मैकेनिक	9	0	9	8	1	29200-92300	5	ग	
68	ट्रेक्टर आपरेटर	56	0	56	53	3	19900-63200	2	ग	
69	फार्म मैकेनिक	2	0	2	0	2	18000-56900	1	घ	
70	पशुशाला मिस्त्री	1	0	1	0	1	18000-56900	1	घ	
71	चिक सेक्सर	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
72	ज्येष्ठ कुक्कुट निरीक्षक	12	0	12	0	12	35400-112400	6	ग	
73	अवर अभियन्ता	1	0	1	0	1	35400-112400	6	ग	
74	मैकेनिक	1	0	1	1	0	25500-81100	4	ग	
75	ट्रेक्टर आपरेटर, बी०के०टी०	1	0	1	0	1	25500-81100	4	ग	
76	डिजायनर कम क्लीनर / वाटनर कम फिनीशर / प्राविधिक सहायक कम चालक	9	0	9	9	0	29200-92300	5	ग	
77	मैकेनिक कम प्लॉट आपरेटर	1	0	1	0	1	19900-63200	2	ग	
78	व्वायलर ड्राईवर कम मैकेनिक	1	0	1	0	1	19900-63200	2	ग	
79	गट मास्टर / मास्टर प्लेयर	2	0	2	1	1	18000-56900	1	घ	
80	अर्धकुशल श्रमिक, कामदार, शववाहक	10	0	10	8	2	18000-56900	1	घ	
81	मशीन क्लीनर / ट्रेक्टर क्लीनर / माली	4	0	4	1	3	18000-56900	1	घ	
82	चर्म निरीक्षक	6	0	6	6	0	29200-92300	5	ग	
83	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1	1	2	0	2	35400-112400	6	ग	
84	प्राविधिक सहायक एवं मशीन परिचालक	5	0	5	0	5	29200-92300	5	ग	
85	गोसदन मैनेजर	4	0	4	4	0	29200-92300	5	ग	
86	ट्रेसर	150	146	296	239	57	18000-56900	1	घ	
87	चपरासी / अर्दली / पिं रचर / चौकीदार / दफतरी / स्वीपर	5116	1729	6845	4573	2272	18000-56900	1	घ	
	<b>योग अराजपत्रित</b>	<b>11274</b>	<b>2557</b>	<b>13831</b>	<b>9823</b>	<b>4056</b>				

योग राजपत्रित :-

2772

योग अराजपत्रित

13831